ध्येय IAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

फरवरी 2019

अंक 3

विषय सूची

फरवरी 2019
अंक-3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-19

- संविधान का बुनियादी ढाँचा : एक विश्लेषण
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में मोटे अनाजों का उभरता महत्त्व
- घुमंतू समुदाय को मुख्यधारा में लाने का प्रयास
- पत्रकारों के लिए आचार संहिता की औचित्यता
- अंतरिम बजट 2019-20 : एक अवलोकन
- वर्टिकल फार्मिंग : एक वैकल्पिक कृषि
- यमुना नदी : मृतप्राय जीवनदायिनी

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 20-27

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 28-33

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 34-42

सात महत्वपूर्ण तथ्य 43

सात महत्वपूर्ण रामसर आर्द्र भूमियाँ : भारत 44-46

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 47

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. संविधान का बुनियादी ढाँचा : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक तौर पर आरक्षण असंवैधानिक है और ये कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी आरक्षण की अधिकतम सीमा का हनन करता है। याचिका में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की माँग की गई है। दिल्ली के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'यूथ फॉर इक्विलिटी' द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संशोधन से संविधान की मूल संरचना का अतिक्रमण होता है।

परिचय

संविधान निर्माताओं ने भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी है। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य के साथ संसद को यह शक्ति दी कि ''हम, भारत के लोग'' (We, the People of India) बदलती जरूरतों और मांगों की पूर्ति करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ तक कि संसद की यह शक्ति उन्हें अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने का अधिकार देती है। हालाँकि संविधान संशोधन की यह शक्ति हमेशा विवादों में रही है और सर्वोच्च न्यायालय में इसे समय-समय पर चुनौती मिलती रही है। इस बिंदु पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मतभेद के बीच कालांतर में बुनियादी संरचना का सिद्धान्त निकल कर सामने आया।

''बुनियादी संरचना का सिद्धांत'' भारतीय न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित एक अनोखा नवाचार है, जो संसद की असीमित शक्ति पर रोक लगाता है। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि संसद अपनी संविधान संशोधन की शक्ति के अधीन ही संविधान के मूलभूत अथवा बुनियादी संरचना को संशोधित करने का अधिकार रखता है। आज से लगभग 45 वर्ष पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद' में यह निर्णय दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है क्योंकि संविधान का मूलभूत ढाँचा अपरिवर्तनीय है।

बुनियादी ढाँचे का सिद्धान्तः एक अवधारणा

भारतीय संविधान एक प्रगतिशील संविधान है जिसमें लगातार सुधार हो रहा है, जो संविधान प्रगतिशील नहीं होता वह राष्ट्र की प्रगति में बाधक बन जाता है, इसलिए संविधान में संशोधन का प्रावधान देश की बदलती राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। अगर संविधान में संशोधन का प्रावधान नहीं होता तो लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्रांति जैसे अन्य तरीकों का सहारा लेते जिससे देश में अराजकता का माहौल बन जाता। हमारे संविधान निर्माता इस बारे में सतर्क थे इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान के भाग 20 में अुनच्छेद 368 के तहत विस्तृत प्रावधान किया है।

संविधान में तीन तरह के संशोधन का प्रावधान किया गया है- पहला; साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा- विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा- विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। अनुच्छेद 368 में अंतिम के दो तरीकों के संविधान संशोधन की बात की गयी है, जबकि पहले प्रकार की प्रक्रिया अर्थात् साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन अन्य अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 3 आदि में उल्लिखित है। लेकिन भारत की राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, वर्तमान समय में धूमिल पड़ गई है। आज संसद न्यायपालिका के उस दायरे से खुद को बाहर करने की हर संभव कोशिश कर रही है जो संविधान को सुरक्षा प्रदान करती है। केशवानंद भारती मामले में बुनियादी संरचना सिद्धान्त संविधान के उन प्रावधानों से उत्पन्न हुआ है जिसमें एक ओर संसद मूल अधिकारों में संशोधन के लिए आतुर थी तो वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका इसे बचाने के लिए तत्पर थी। संविधान का बुनियादी संरचना का सिद्धान्त मौलिक अधिकारों की गारण्टी देता है तो वहीं अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन के लिए सक्षम बनाता है।

न्यायपालिका द्वारा बुनियादी संरचना की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। बुनियादी संरचना के सिद्धान्त को न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया है। संविधान का कोई भाग या अनुच्छेद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं इसका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।

बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत का सफर

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951): सर्वप्रथम इस वाद में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को, जिसके द्वारा भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था, इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। वादियों का तर्क था कि संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 13 (2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अन्तर्गत आती है। अत: संसद संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है तथा अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अन्तर्गत केवल सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग में बनायी गयी विधि आती है, संविधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा किये गये 'संविधान संशोधन विधि' नहीं। सामान्य विधि एवं संशोधन विधि में अन्तर

होता है। संशोधन विधि से मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, जबकि सामान्य विधि से मूल अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965): इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से शंकरी प्रसाद मामले में किये गये निर्णय को उचित माना और निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों सहित संशोधन किया जा सकता है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ (मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बाराव) ने 6:5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के विनिश्चयों को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकार में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 तथा 248 में निहित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है, अत: 'विधि' शब्द के अन्तर्गत सभी प्रकार की विधियाँ आती हैं, चाहे वह साधारण विधि हो या संविधान संशोधन विधि। उल्लेखनीय है कि यह निर्णय भविष्यलक्ष्यी प्रभाव (Prospective Overruling) से लागू किया गया था। अत: इनके पूर्व में किये गये संविधान संशोधन विधि मान्य रहे।

इसके बाद इन्दिरा गाँधी सरकार ने 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 पारित कराया। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। इसमें अनुच्छेद 13 में एक नया खण्ड 13(4) जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन 'विधि' नहीं है। इसके अलावा 1971 में ही संसद ने 25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया जिसमें एक नया अनुच्छेद 31ग जोड़कर प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विधि मान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19 या 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों से असंगत हैं या उन्हें कम करती या छीनती है।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973): 1973 में एक महत्वपूर्ण मामला 'केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य' उच्चतम न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुआ। गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णयों से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण हेतु, संसद द्वारा 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। जिसके द्वारा अनु. 368 में दो नये खण्ड (1) तथा (3) जोड़ा गया तथा खण्ड (2) को संशोधित किया गया। केशवानन्द भारती वाद में 24वें संविधान संविधान को चुनौती दी गयी, इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है?

मुख्य न्यायाधीश सीकरी की अध्यक्षता में 13 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ ने 24 अप्रैल, 1973 को सर्वसम्मति से यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अन्तर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं है। गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णय को उलटते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान संशोधन की शक्ति तथा इसकी प्रक्रिया दोनों निहित है।

किन्तु उस पीठ (Bench) ने 7:6 के बहुमत से यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किन्तु वह असीमित नहीं है और वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिसमें संविधान के मूल तत्त्व या उसका आधारभूत ढाँचा (Basic structure) नष्ट हो जाये। संसद की इस शक्ति पर परिसीमाएँ भी हैं जो स्वयं संविधान में निहित हैं। संसद को इस परिधि के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग करना है।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न तत्वों को संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा बताया–

(i) संविधान की सर्वोच्चता।
(ii) सरकार का लोकतांत्रिक (Democratic) तथा गणतांत्रिक (Republican) ढाँचा।
(iii) संविधान की संघात्मक (Federal) प्रकृति।
(iv) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण (Seperation of Powers)।
(v) संविधान का पंथनिरपेक्ष स्वरूप।
(vi) देश की संप्रभुता (Sovereignty)।

बुनियादी ढाँचे के सिद्धान्त का अनुपालन

इन्दिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) के मामले में निम्न तत्त्वों को आधारभूत ढाँचे में शामिल किया गया–

(i) स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र
(ii) विधि का शासन (Rule of law)
(iii) न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review) की शक्ति

42वाँ संविधान संशोधन 1976: 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और यदि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्त्व के बीच विवाद होता है तब नीति निर्देशक तत्त्व को वरीयता दिया जायेगा।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): इस केस में केशवानन्द केस के निर्णय को अपनाया गया और न्यायालय ने यह भी कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्त्व के बीच कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

न्यायालय ने संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का आधारभूत ढाँचा घोषित किया। इस प्रकार वर्तमान

स्थिति यह है कि संसद मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, किन्तु न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है और यदि वह उपबंध संविधान के मूलभूत ढाँचे को नष्ट करता है तो न्यायालय इसे अविधिमान्य घोषित कर सकती है।

वामन राव बनाम भारत संघ मामले (1981): उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानन्द भारती मामले में निर्णय की तिथि) से पहले किये गये संशोधन तो विधि माने जायेंगे किन्तु इस तिथि के बाद यदि कोई भी अधिनियम नौवीं अनुसूची में डाला गया हो, किन्तु वह संविधान के आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचाता हो तो न्यायालय उसे विधिशून्य घोषित कर सकता है।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले के नाम से प्रसिद्ध एस.पी. गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति (1982) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "धर्मनिरपेक्षता" के अर्थ की समुचित व्याख्या करते हुए घोषित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के आधारभूत ढाँचे का अंग है।

एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'न्यायिक पुनर्विलोकन' संविधान के आधारभूत ढाँचे में शामिल है।

संविधान के बुनियादी ढाँचे में शामिल तत्त्व (Elements present in the basic structure of constitution)

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में बताया है कि संविधान के आधारभूत ढाँचे में कौन-कौन से तत्त्व उपस्थित हैं। न्यायालय द्वारा समय-समय पर कुछ तत्वों को इस सूची में शामिल किया गया है और आगे भी कर सकता है।

संविधान का मूल ढाँचा (सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिभाषित)

- संघात्मक शासन प्रणाली।
- राष्ट्र की एकता और अखण्डता।
- कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
- व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा।
- विधि का शासन।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र।
- न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति।
- मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्त्वों में सामंजस्य।
- संसदीय शासन प्रणाली।
- संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति।
- संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य।
- अनु. 32, 136, 141 और 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ।
- कुछ दशाओं में मूलाधिकार आदि।

संविधान के बुनियादी ढाँचे का विश्लेषण

भारतीय संविधान में बुनियादी ढाँचे का वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन संवैधानिक क्षेत्र में 'बुनियादी संरचना' के सिद्धांत पर काफी गहन चर्चा की गई है।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बुनियादी संरचना सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यदि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद द्वारा संविधान में आवश्यक बदलाव नहीं ला सकती है तो कौन लाएगा? इसके विपरीत वे यह भी कहते हैं कि अगर संविधान संशोधन बुनियादी संरचना के सिद्धान्त के विरुद्ध किया जाएगा तो यह माना जाएगा कि संसद ने अपनी संविधान संशोधन की शक्ति का दुरुपयोग किया है।

यह भी तर्क दिया जा सकता है कि बुनियादी संरचना का सिद्धान्त अलग से विकसित हुआ है। जिसका जन्मदाता खुद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को सभी संवैधानिक संशोधनों पर वीटो अधिकार प्रदान है। इसके विपरीत अगर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर इस तरह की सीमाएँ नहीं होंगी तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि सरकार की आलोचना करने पर अपराध माना जाएगा और सरकार इस तरह के कानून बना दे जिससे अभिव्यक्ति की आजादी भी छिन जाए।

कई बार ऐसा हुआ है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून न्यायपालिका को हस्तांतरित हो जाता है, अर्थात् न्यायपालिका कई बार सक्रिय होकर संसद के निर्णयों पर स्वत: संज्ञान ले लेती है। संभवत: वह यह भूल जाती है कि संविधान सर्वोच्च है। कुछ न्यायिक निर्णयों से भी कई बार प्रकट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढाँचे के नाम पर बहुत अधिक शक्ति ग्रहण की है। बुनियादी संरचना का सिद्धान्त ऐसे समय में आया था जब संवैधानिक संशोधनों से संविधान के मूल ढाँचे को खतरा उत्पन्न हो गया था। यह सिद्धान्त न्यायपालिका को एक लोकतांत्रिक रूप से गठित सरकार पर अपने दर्शन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

बुनियादी संरचना का सिद्धान्त व्यक्तिपरक और अस्पष्ट है। यह केस टू केस के आधार पर न्यायपालिका द्वारा तय किया जाता रहा है। संभवत: इसका यह भी कारण हो सकता है कि अगर न्यायपालिका संसद को बुनियादी संरचना की स्पष्ट सूची दे दे, तो संसद कुछ अन्य विकल्पों के साथ आगे आ सकती है।

इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बुनियादी संरचना का सिद्धान्त कानूनी रूप से वैध है, क्योंकि यह संविधान के विभिन्न भागों और इतिहास में ही निहित नहीं है बल्कि इसमें पर्याप्त नैतिक मूल्य भी हैं। इसका मूल उद्देश्य सरकार की निरंकुशता को सीमित करके लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह सिद्धान्त हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है और संसद के असंवैधानिक संशोधनों पर पूर्ण विराम भी लगाता है।

निष्कर्ष

संविधान किसी देश का मौलिक कानून होता है जो किसी राष्ट्र की सामान्य इच्छा को निर्धारित करता है। भारत का संविधान, भारत का मूलभूत कानून है और यह देश की आम सहमति को प्रस्तावना के रूप में दर्शाता है। जैसे-जैसे देश और सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से विकास हुआ है, उसी स्वरूप में भारत का संविधान भी विकसित हुआ है।

देश के बदलते सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में प्रावधानित संशोधन प्रावधान वास्तव में कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन न किया जाए जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। साथ ही संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में मोटे अनाजों का उभरता महत्त्व

चर्चा का करण

हाल ही में केरल सरकार ने पोषक तत्त्वों से भरपूर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट विलेज स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें मोटे अनाजों की खेती को अधिक-से-अधिक जिलों में विस्तारित करने पर बल दिया जाएगा। विदित हो कि ज्वार एवं बाजरा मोटे आनाजों की श्रेणी में आते हैं। पोषण तत्त्वों से समृद्ध होने के कारण इन अनाजों को न्यूट्रिया मिलेट्स भी कहा जाता है। दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए मिशन स्तर पर मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है।

मिलेट विलेज स्कीम क्या है?

- केरल राज्य कृषि विभाग द्वारा बाजरे को नवीनतम आहार की मुख्य सामग्री के रूप में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में बाजरा ग्राम योजना (Millet Village Scheme) का सफल क्रियान्वयन भी किया गया है।
- बाजरा ग्राम योजना (Millet Village scheme) के तहत कृषि विभाग ने 1,200 एकड़ में रागी (Finger Millet), थिना (Thina-Foxtail Millet), चोलम (Sorghum-Tokj) और कुथिरवली (Kuthiravaali-बार्नीयार्ड बाजरा) की फसलों का उत्पादन किया।
- इसके अंतर्गत अट्टापेडी में चिया (Chia) की खेती के लिये एक पायलट परियोजना भी चलाई जा रही है।
- चिया एक मध्य अमेरिकी पौधा है, जो अब भारत में एक सुपरफूड के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस परियोजना के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है।
- केरल के कृषि मंत्री ने इस परियोजना के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिये केंद्र से समर्थन माँगा है।

परिचय

सामान्यत: मोटे अनाजों को दो भागों में बाँटा जाता है। मोटे अनाज के प्रथम वर्ग में ज्वार और बाजरा आते हैं जबकि द्वितीय में बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज जैसे रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सांवा और कुटकी आदि आते हैं। विशेषज्ञ पोषण की अधिकता के कारण मोटे अनाजों को सुपरफूड की संज्ञा देते हैं।

जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो मोटे अनाज यहाँ की प्रमुख फसलों में शामिल हैं, जिसका उपयोग भारतीय लोग बहुत लम्बे समय से करते आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बाजरे की फसल मोटे अनाजों में सबसे अधिक उगायी जाने वाली फसल है। इसकी खेती अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल से ही की जाती रही है। वर्तमान में मोटे अनाज के उत्पादन का लगभग आधा भाग बाजरे का है। बाजरे के उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही उपभोग कर लिया जाता है।

भारत में मोटे अनाज के मुख्य उत्पादक राज्य आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के अर्द्धशुष्क व शुष्क भाग हैं। भारत के अलावा मुख्य उत्पादक देशों में नाइजीरिया, नाइजर, माली, चीन, बुरकीना-फासो, युगांडा, सेनेगल, चाड, सूडान और इथोपिया हैं। विश्व भर में अभी लगभग 3 करोड़ टन मोटा अनाज पैदा होता है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान भारत में रिकॉर्ड 4.70 करोड़ टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए 200 जिलों को चिह्नित किया है, जो ज्यादातर सूखे की चपेट में रहते हैं। इसके तहत सरकार ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत प्रजाति के बीज मुहैया करा रही है।

विश्व में मोटे अनाज की स्थिति

मोटे अनाजों का उत्पादन आम तौर पर एशिया और अफ्रीका के अर्द्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। इनके उत्पादन में इन विकासशील देशों की भागीदारी 97 प्रतिशत है। ज्ञातव्य है कि मोटे अनाज की पैदावार कोरिया में 3500-2000 BC में शुरू हो गई थी। वहाँ की परंपरा में मोटे अनाज खास अहमियत रखते थे। रोचक तथ्य यह है कि मोटे अनाज चीन से यूरोप के ''काला सागर'' क्षेत्र में 500 BC वर्ष पहले ही पहुँच गये थे। पूर्वी एशिया में इनकी पैदावार का विस्तार इसलिये हुआ, क्योंकि इन पर सूखे का कोई असर नहीं होता था। वर्तमान में मोटे अनाजों पर अध्ययन के लिये अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान कार्यरत हैं। ये संस्थान आंध्रप्रदेश (भारत) तथा टिफ्टान जॉर्जिया (यू.एस.ए.) में हैं।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति खपत पूरी दुनिया में अलग-अलग है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में यह सर्वाधिक है। बुरकिनाफासो में यह 35 प्रतिशत है। चाड, गैंबिया में भी 35 प्रतिशत है, जबकि माली सेनेगल में यही खपत 40 प्रतिशत है। नाइजर तथा नामीबिया में 65 प्रतिशत है। साथ ही इथोपिया, नाइजीरिया तथा युगांडा में भी मोटे अनाज भोजन के महत्वपूर्ण भाग हैं। पूर्वी तथा मध्य अफ्रीकी देशों में, जहाँ पानी की कमी है, ये अनाज गरीब आबादी का एक बड़ा सहारा है। चीन, म्यांमार और उत्तरी कोरिया जैसे विकासशील देशों में भी मोटे अनाजों का स्थानीय तथा पारंपरिक महत्त्व है।

विदित हो कि विश्व भर में 1970 से 2000 के बीच मोटे अनाजों की खपत शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घटी है। विशेषकर विकासशील देशों में इस गिरावट के मूल कारणों में तीव्र आर्थिक विकास भी है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरूआत हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस विकास का असर लोगों की जीवनशैली, रहन सहन और खानपान पर भी पड़ा है। उदाहरण के तौर पर अब भारत के लोग मोटे अनाज की जगह गेहूँ, चावल इत्यादि को अधिक पसंद करते हैं। इस कारण मोटे अनाजों की खपत लगातार घटती जा रही है।

मोटे अनाजों का महत्त्व क्यों

- मोटा अनाज उच्च प्रोटीनयुक्त, सामान्य मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तथा कम पानी की आवश्यकता जैसे कारकों के संयोजन के कारण एक आदर्श फसल है।
- आजकल मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में इस अनाज की माँग तेजी से बढ़ रही है।
- पोषण के लगभग सभी मापदंडों पर यह अनाज चावल या गेहूँ से आगे है। गेहूँ व चावल के मुकाबले उनके अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा है। इनमें से प्रत्येक अनाज में चावल व गेहूँ के मुकाबले ज्यादा रेशा रहता है।
- साथ ही इसमें तरह-तरह के विटामिन होते

हैं, जैसे- कैरोटिन, नियासिन, विटामिन बी6 और फॉलिक एसिड आदि। इसमें मिलने वाला लेसीथीन शरीर के स्नायुतंत्र को मजबूत बनाता है। अतः नियमित रूप से बाजरा खाने से भारत की आबादी का अधिकांश भाग कुपोषणमुक्त हो सकता है।

- मोटे अनाजों की खेती के लिए बाहर से कुछ निवेश करने की जरूरत नहीं होती। इसकी खेती खाद्यान्न और चारे दोनों के लिए की जाती है।
- मोटे अनाज चिड़ियों के दाने और मवेशियों के चारे के लिए ये अच्छे स्रोत हैं।
- भारत के अनेक परिवार उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सिंचाई सुविधाएँ कम हैं। अतः ऐसे इलाकों में खाने के लिए उपयुक्त अनाज के रूप में मोटे अनाज की खेती की जा सकती है।
- मोटे अनाज की खेती में उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती। इस फसल में कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते। अतः इसके भंडारण के लिए कीट-नाशकों की जरूरत नहीं पड़ती।
- इसके अलावा मोटे अनाज की फसल पर्यावरण के लिए उपयोगी है। यह जलवायु परिवर्तन के असर को कम करती है।
- मोटे अनाजों के दालों/तिलहनों का इस्तेमाल करके इससे पोषक भोजन तैयार किया जा सकता है। इससे रोटी, ब्रेड, लड्डू, पास्ता, बिस्कुट और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किये जा सकते हैं। यह प्रोबायोटिक पेय पदार्थ तैयार करने में भी काम आता है।
- ज्ञातव्य है कि मोटे अनाज के इन्हीं गुणों को देखते हुए भारत के राजपत्र में 13 अप्रैल, 2018 को बताया गया कि मिलेट (ज्वार, बाजरा, रागी आदि) में देश की पोषण संबंधी सुरक्षा में योगदान देने की बहुत अधिक क्षमता है।

मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास

मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

- सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिये रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। बाजरा, जिसे कि पोषक अनाज कहा जाता है, को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और इसे मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत शामिल किया जा रहा है।
- पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि 2016-17 के फसल वर्ष में खेती का रकबा घटकर 1 करोड़ 47.2 लाख हेक्टेयर रह गया है जो वर्ष 1965- 66 में 3 करोड़ 69 लाख हेक्टेयर था।
- बाजरा फसलों का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिये पंचवर्षीय योजना के तहत मोटे अनाजों के उपभोग की माँग बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- कार्यक्रम के तहत बाजरा के पोषण और स्वास्थ्य लाभों पर ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
- मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पोषण सुरक्षा उपाय कार्यक्रम भी चलाया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक भाग है, जो बाजरे की खेती को सहायता देने के लिए कार्य करता है।
- गौरतलब है कि इस दिशा में कार्य करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरूआत की थी। योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने वाले एक तंत्र का निर्माण करना है। योजना के अपेक्षित परिणामों में किसानों को कृषि उत्पादों की उच्च कीमत, अच्छी गुणवत्ता के खाद्य प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, खाद्य पदार्थों की बर्बादी का कम होना और कारगर खाद्य आपूर्ति शृंखला का सृजन इत्यादि शामिल है। जुलाई 2016 तक खाद्य मंत्रालय ने 42 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दे दी थी, जिनमें से 38 को संचालित करने की मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में 8 मेगा फूड पार्क चल रहे हैं।
- समन्वित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम- यह मोटे अनाजों की खेती वाले इलाकों में मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत चलाया जा रहा है।
- पौष्टिक अनाजों की उपज और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 2018 को राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार वर्ष के रूप में मनाने को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1725 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1425 रुपये प्रति क्विंटल से 1950 रुपये प्रति क्विंटल तथा रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1900 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2897 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
- वहीं अब इस दिशा में आगे बढ़ते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्य सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से ज्वार, बाजरा तथा मक्का खरीदने की अनुमति दी गई है।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एफएओ (FAO) परिषद ने वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता को भी स्वीकृति दे दी है।

चुनौतियाँ

आजादी के बाद धान और गेहूँ जैसी फसलों को बढ़ावा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप कुल कृषि भूमि में से मोटे अनाजों का रकबा और उत्पादन निरंतर घट रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 तक भारत में मोटे अनाजों का उत्पादन तो बढ़ा किन्तु प्रति व्यक्ति खपत 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक घट गया। यह हालात कालांतर में और बदतर हुए।

मोटे अनाज की महत्ता वर्तमान शोधों से जगजाहिर हो चुकी है। इसके बावजूद भारत में इन फसलों में सुधार के लिए पहलों में कमी देखी गई है। इन फसलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- सरकारी योजनाओं, फसलों के सरकारी नियंत्रण के साथ खाद्य सुरक्षा जैसी नीतियों ने लाभकारी फसल उगाने का लोभ पैदा किया है। वहीं रही सही कसर जैनेटिकली मॉडीफाइड फसलों ने पूरी कर दी। दूसरी तरफ मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आयी।
- मोटे अनाजों की खेती को राज्यों का समर्थन नहीं मिलता है जिसके कारण मोटे अनाजों की खेती के लिए न तो ऋण मिलता है और न ही इसका बीमा हो पाता है।
- इसके अलावा विश्व-व्यापारीकरण और बाजारीकरण के बढ़ते प्रभाव से किसानों का मोटे अनाजों, दलहनों और तिलहनों की खेती से मोहभंग होता जा रहा है।

- भारत में अधिकांश मोटे अनाजों को जानवरों के चारे और शराब बनाने के विकल्प के रूप में देखा गया। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल लगभग न के बराबर हो गया है।

आगे की राह

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मोटे अनाज न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है, जैसे-

- गेहूँ और धान की भाँति मोटे अनाजों के अनुसंधान, विकास और प्रसंस्करण की सुविधाएँ देश भर में स्थापित किए जाएँ।
- वर्ष 2025 तक लगभग 30 मिलियन टन पौष्टिक अनाजों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा रहा है जिसकी पूर्ति के लिए हमें क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए।
- भारत सरकार को इन अनाजों के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और राज्य सरकारों को इनकी सरकारी खरीद, भंडारण व विपणन के लिए प्रभावी नेटवर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- साथ ही आवश्यकता इस बात की भी है कि भारत के नीति निर्धारक मोटे आनाज की खेती पर ध्यान दें और ऐसी नीतियाँ बनाएँ जो किसानों के अनुकूल माहौल बना सकें।
- यदि इन अनाजों के उत्पादन को अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे उच्च उर्वरता और सिंचाई मिल जाये तो इनकी पैदावार चार गुना तक बढ़ सकती है। उन्नत बीजों का विकास करके भी इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है।
- पूरे देश में पौष्टिक एवं स्वास्थ्यप्रद इन अनाजों के महत्त्व, उपयोगिता और इनकी खेती के लाभों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
- इन फसलों की खेती को बढ़ावा देने से न केवल रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आयात व प्रयोग कम होगा बल्कि मिट्टी और भू-जल के साथ-साथ कुपोषण की समस्या से भी निजात मिलेगी और जनता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इस प्रकार बदलते मौसम-चक्र, एक फसली खेती से हो रहे नुकसान को देखते हुए पौष्टिक अनाजों की खेती भविष्य में एक उम्मीद की किरण के समान है। इससे न केवल कृषि का विकास होगा बल्कि खाद्य-सुरक्षा के साथ-साथ भारत की आम जनता को पोषण-सुरक्षा भी हासिल हो सकेगी।
- बदलते परिवेश में समय की माँग है कि पौष्टिकता से भरपूर इन मोटे अनाजों का नाम बदल कर पौष्टिक अनाज (न्यूट्री-सीरियल) कर दिया जाए, साथ ही पौष्टिक अनाजों में दलहन जैसे- चना, अरहर, मूँग आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा कानून में इन फसलों का जिक्र किया गया है। अब समय आ गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इनका भी जन-वितरण किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

3. घुमंतू समुदाय को मुख्यधारा में लाने का प्रयास

चर्चा का कारण

कार्यकारी वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। बोर्ड समुदायों तक पहुँच के लिए विशेष रणनीतियाँ बनाएगा और इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। ज्ञातव्य है कि इन समुदायों तक सरकार द्वारा संचालित विकास व कल्याण कार्यक्रम नहीं पहुँच पा रहे थे और ये निरंतर पीछे छूटते जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय जीवन-यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं।

घुमंतू समुदाय

ये जाति दलित जातियों से भिन्न हैं जिन्हें घुमंतू और विमुक्त समुदाय कहते हैं। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक जगह पर न रहकर लगातार घूमता रहता है। ये खुले स्थानों, मैदानों या बागों में ठहरकर पशुपालन, पशुओं की चिकित्सा, नाच गाना, करतब, जड़ी-बूटी के व्यापार, कुश्ती और लाठी सिखाने के काम से अपना पेट भरते हैं।

डीनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जातियाँ उन सभी समुदायों को कहते हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत अधिसूचित हैं जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत उस समय इनकी पूरी आबादी को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया था।

खानाबदोश जनजातियाँ (Nomadic Tribes) वे हैं जो निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखते हैं, जबकि अर्द्ध-खानाबदोश (semi-nomads) वे लोग हैं जो गतिशील तो हैं लेकिन साल में कम-से-कम एक बार मुख्य रूप से व्यावसायिक कारणों से एक निश्चित आवास पर लौट आते हैं।

पृष्ठभूमि

देश भर में लगभग 193 अलग -अलग घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जातियाँ जैसे सांसी, भेदकुट, छारा, भांतु, भाट, नट, ओड, गदहिला, डोम, बावरिया, गड़ेरिया, बंजारा, कालबेलिया आदि विमुक्त और घुमंतू जातियाँ कहलाती हैं। अंग्रेजों ने सन् 1871 में जरायम पेशा काला कानून (क्रिमिनल ट्राइब एक्ट) बनाया जिसका उद्देश्य इन्हें अपराधियों की श्रेणी में रखना था। 1871 से लेकर 31 अगस्त सन 1952 तक 82 साल के लम्बे अरसे में इस काले कानून से ये लोग अंग्रेजों के जुल्म के

शिकार हुए। यह कानून 1884-85 एशियाटिक एक्ट, 1857-58 म्यूटिनी सप्रेशन एक्ट और 1919 के रौलेट एक्ट से भी कठोर था। इस कानून के तहत इन जनजातियों को एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने की इजाजत नहीं थीं। साथ ही इन लोगों को कोर्ट परिसर में भी जाने की इजाजत नही थी। पुलिस कप्तान ने जो फैसला सुनाया, वहीं आखिरी फैसला होता था "ना वकील, ना दलील, ना अपील"। 1924 में इस कानून को और सख्त किया गया जिसके तहत 12 साल का बच्चा भी इस कानून की गिरफ्त में आ गया। 1947 में देश आजाद हुआ परन्तु ये लोग आजाद नहीं हुए। 1949-50 में गठित क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट इन्क्वायरी कमेटी ने सरकर को रिपोर्ट दिया कि देश में ऐसी 193 जातियाँ हैं जो आज भी गुलाम हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 31 अगस्त, 1952 को संसद में बिल पास हुआ। लम्बे अरसे से गुलाम होने के कारण ये जातियाँ शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़ गईं। देश के संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के अंतर्गत जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग का गठन किया तब भी इन लोगों को किसी भी सूची में नहीं निर्दिष्ट किया गया। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट समाप्त होने के उपरान्त इन जातियों को देश का नागरिक मानकर 1952 में ही इन्हें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। आज 74 साल बाद भी तरक्की की दौड़ में ये जातियाँ दूसरी जातियों से काफी पीछे हैं, जिनकी आबादी लगभग 15 करोड़ से भी अधिक है।

रेनके कमीशन

साल 2005 में तत्कालीन सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लिये एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes - NCDNT) का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके थे। 2008 में रेनके आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन जनजातियों के इतिहास से लेकर वर्तमान समय में इनकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

- रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दुर्भाग्य से 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' के समाप्त होने के बाद भी इन जनजातियों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।
- अंग्रेजों द्वारा चलाई गई इस कुरीति के चलते आज भी समाज और पुलिस इन लोगों को शक और घृणा की ही नज़र से देखती हैं।
- रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि विमुक्त जनजातियों के लोगों के मामले में न्याय के मूलभूत नियमों तक का उल्लंघन किया जाता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, 'यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष माना जाता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, लेकिन इन जनजातियों के मामलों में समाज और पुलिस, दोनों का नजरिया ठीक उल्टा है।'
- इस रिपोर्ट में अभ्यासिक अपराधी अधिनियम (Habitual offenders act) को समाप्त करने की भी बात की गई थी जो कि उचित भी था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आयंगर समिति ने भी आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि अभ्यासिक अपराधी अधिनियम के दायरे में केवल कुछ चुनिन्दा जनजातियाँ ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिये।
- जहाँ रेनके आयोग की रिपोर्ट को 8 साल हो चुके हैं, वहीं आयंगर समिति की रिपोर्ट के 4 साल बाद भी न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों का इस ओर ध्यान गया है।
- 'विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों' के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि आजादी के बाद तत्कालीन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, वहीं अछूतों और दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- लेकिन आपराधिक जनजाति अधिनियम से प्रभावित जनजातियों की कोई खबर नहीं ली गई।
- अपवादस्वरूप कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य सरकार ने इन्हें किसी भी सूची में शामिल नहीं किया, जो इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है।
- घुमंतू जनजातियों के अधिकतर लोग आज भी देश की जनगणना में शामिल नहीं हैं। जब इनकी गिनती ही देश के नागरिकों में नहीं है तो इन्हें इनके नागरिक अधिकार कैसे मिलेंगे।
- समाज द्वारा इन लोगों के प्रति भेद-भाव, मारपीट तथा विकृत मानसिकता आदि अधिकतर लोग इन लोगों को अपने गांव-कस्बों के पास इसलिए ही नहीं बसने देते क्योंकि वे आज भी इन्हें 'आपराधिक जनजाति' के नजरिये से देखते हैं।
- सरकार का रवैया भी इन लोगों के प्रति बेहद उदासीन है।
- इन लोगों के संवैधानिक, न्यायिक, सामाजिक या नागरिक अधिकार तो दूर मूलभूत मौलिक अधिकार और सामान्य मानवाधिकार तक सुरक्षित नहीं हैं।
- कभी 'शिकारी जनजाति' कही जाने वाली ये समुदाय आज स्वयं पुलिस, समाज और व्यवस्था की सबसे बड़ी शिकार बन चुकी हैं। इन लोगों के नाम का इस्तेमाल पुलिस अकसर अपराधियों के नाम के लिए झूठे 'रिक्त स्थान' को भरने के लिए करती रहती हैं।
- अंग्रेजों द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य लागू किये गये वन कानूनों ने इन समुदायों को शिकार और वनोत्पाद जमा करने के पारम्परिक अधिकारों से वंचित कर दिया।
- इस समुदाय की अधिकतर जनसंख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पायी जाती है।

इन समुदायों के समक्ष चुनौतियाँ

- इन समुदायों के लोग अभी भी रूढ़िवादी बने हुए हैं इनमें से अधिकांश को भूतपूर्व अपराधी जनजाति की संज्ञा दी गई है।
- ये लोग अलगाव तथा आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करते हैं। इनके अधिकांश पारम्परिक व्यवसायों, जैसे- साँप का खेल, सड़क पर कलाबाजी करने तथा मदारी का खेल दिखाने आदि को आपराधिक गतिविधियों के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इससे इनके लिए अपनी आजीविका अर्जित करना और भी कठिन हो गया है।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत भी कई अनधिसूचित, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ हैं, किन्तु इन्हें कहीं भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। साथ ही, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लाभों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या विकास व कल्याण कार्यक्रम जैसे अन्य सुविधाओं तक इनकी पहुँच नहीं है।

इदाते कमीशन

राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग (इदाते कमीशन) की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं-

- केंद्र में स्थायी आयोग का गठन किया जाए।
- प्रत्येक राज्य में बोर्ड, विभाग और निदेशालय का गठन किया जाए।
- आगामी 2021 की जनगणना में विमुक्त एवं घुमंतू समुदायों की जनगणना की जाए।
- पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी मिले।
- एससी- एसटी की तरह इन्हें भी संवैधानिक संरक्षण मिले।
- एससी/एसटी और ओबीसी कोटा की तरह इन समुदायों के लिए भी पृथक उपश्रेणियाँ बनाई जाए।
- कलंकीकरण एवं उत्पीड़न से बचाव के प्रावधान हों।
- समुदाय के छात्रों के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू करना।
- मंडलीय स्तर पर परिषद का गठन हो।
- जनवरी 2018 में सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजे अपनी रिपोर्ट में इदाते आयोग ने कहा था कि इस तरह के स्थायी आयोग में इस समुदाय के एक प्रख्यात नेता के अलावा केंद्र सरकार का एक वरिष्ठ नौकरशाह, मानव विज्ञानी और समाजशास्त्री होना चाहिये।

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग (रेनके आयोग) 2006 में बना था। इसके अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके थे जिसे रेनके आयोग भी कहा जाता है।
- नीति आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें विमुक्त (DNT), अर्द्ध-खानाबदोश (SNT) तथा खानाबदोश जनजातियों (NT) के लिये एक स्थायी कमीशन गठित करने की बात कही गई है। मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में नीति आयोग ने इन "सर्वाधिक वंचित" समुदायों के कई मुद्दों पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी समूह गठित करने की पेशकश की है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नीति आयोग को यह भी लिखा था कि वह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुसार इन समुदायों के विकास के लिये विजन 2030 तैयार करने हेतु एक कार्यकारी समूह स्थापित करें।
- इस समुदाय के सदस्यों जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक भूमिहीन लोग हैं, के बच्चों के शिक्षण शुल्क को कम करने और विद्यालयों में इन समुदायों के बच्चों के प्रवेश में राहत देने एवं भूमि तथा आवास का आसान आवंटन किये जाने के लिए नीति आयोग प्रयास करेगा।

आगे की राह

- केंद्र सरकार वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना में घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतुओं की गणना करने के लिए कदम उठाए।
- विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इन जातियों की राज्यवार सूची तैयार की जानी चाहिए।
- डीएनटीएस की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जिला और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियाँ बनाई जानी चाहिए जिससे उनके कल्याण के लिए कार्य योजना बनाई जा सके।
- राज्य सरकारें डीएनटी के प्रत्येक सदस्य को बीपीएल प्रमाण पत्र और संबंधित सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड जारी करने के लिए विशेष कदम उठाये।
- भारत सरकार को पात्र सदस्यों को वोटर आईडी जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए।
- कॉलोनियों और समूहों में रहने वाले डीएनटी को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
- इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को डीएनटीएस के कल्याण के लिए अलग से परिव्यय निर्धारित करना चाहिए।
- शैक्षिक सशक्तीकरण तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने तथा विशेष रूप से डीएनटी महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) सेंट्रल कॉटेज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि के सहयोग से डीएनटीएस समुदाय के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
- उनकी दयनीय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, राज्य स्तर पर डीएनटीएस के कल्याण के लिए एक अलग विभाग/मंत्रालय बनाने की आवश्यकता है।
- यह भी आवश्यक है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करके डीएनटीएस समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही इस कानून के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जानी चाहिए।
- संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में आरक्षण के लिए इनको भी पात्र बनाया जा सके।
- डीएनटीएस समुदाय की जहाँ आबादी अधिक है वहाँ, ब्लॉक/तालुका पंचायतों, जिला पंचायतों/जिला परिषदों और शहरी स्थानीय निकायों में भी इनके लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।
- डीएनटीएस की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार एवं विकास निधि में निर्धारित धन का लगभग 10% अतिरिक्त धन आवंटित किए जाने चाहिए।
- कुल नौकरियों मे आरक्षण सीमा 50% से अधिक होने पर भी सरकारी नौकरियों में डीएनटीएस को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाना चाहिए।
- डीएनटीएस समुदाय के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जाने चाहिए।
- डीएनटीएस की समुदाय की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विकसित, संरक्षित करने के लिए प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में एक बहु सांस्कृतिक परिसर/अकादमी की स्थापना करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. पत्रकारों के लिए आचार संहिता की औचित्यता

चर्चा का कारण

हाल ही में केरल में कोल्लम प्रेस क्लब की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि व्यापक जनभावनाओं को व्यक्त करने के बजाए अखबार आजकल सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण खबरें देने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया संगठनों को अब पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारिता को कभी भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों से नहीं भटकना चाहिए।

परिचय

पत्रकारिता समाज को जागरूक करने का एक प्रमुख साधन है। पत्रकारिता सूचना और दिशा-निर्देश प्रदान करती है। हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह जन-जन की अभिव्यक्ति को मुखर रूप से व्यक्त करने का जनतांत्रिक तरीका है।

'पत्रकारिता' अंग्रेजी शब्द 'जर्नलिज़्म' का हिंदी रूपांतरण है 'जर्नलिज़्म' शब्द 'जर्नल' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ 'दैनिक' होता है। "पत्रकारिता वह विधा है, जिससे पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों का विवेचन किया जाता है, जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए, वही पत्रकारिता है।"

पत्रकारिता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन में संपूर्णता नहीं आ सकती है। इसके बिना किसी समुदाय या मानव गरिमा की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता जन-जागृति उत्पन्न करते हैं, शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करते हैं, मूल्यांकन-पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ये राष्ट्रीयता, भारतीयता और मानवता को प्रतिष्ठा देते हैं।

पत्रकारिता के कार्य

पत्रकारिता के तीन मुख्य कार्य हैं- पहला, सूचना प्रदान करना, दूसरा, शिक्षा और तीसरा, मनोरंजन करना। इसके अलावा लोकतंत्र की रक्षा एवं जनमत संग्रह करना भी इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं।

सूचना: अपने आस-पास की चीजों घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का मूल स्वभाव है, उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। पत्रकारिता का मुख्य कार्य घटनाओं को लोगों तक पहुँचाना है। समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में सूचना प्रदान करता है अर्थात् समाचार के माध्यम से देश-दुनिया की समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों की सूचना लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

शिक्षा: समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश-दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुँचाते हैं। यह हमें विभिन्न विषय में शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन संचार माध्यम चाहे वह समाचार पत्र पत्रिकाएँ हों या रेडियो या दूरदर्शन या फिर इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया ये सभी लोगों को वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके पेश करते हैं। यह समाचार समसामयिक घटनाओं, विचारों की पूरी जानकारी प्रदान करती है जो अनौपचारिक रूप से व्यक्ति को, पाठक को या दर्शक को शिक्षा प्रदान करती है।

लोकतंत्र का रक्षक: राजनैतिक परिदृश्य में मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है। पत्रकारिता की पहुँच का सीधा अर्थ है जनमत की पहुँच। इसलिए कहा गया है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। यह नेता एवं जनता दोनों के लिए लाभकारी है। नेता जनता तक अपनी सुविधा अनुसार पहुँच पाते हैं लेकिन खासकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नेता एक ही समय में काफी लोगों तक पहुँच पाने में सक्षम हो जाते हैं। मीडिया में पहुँच का फायदा यह होता है कि उन्हें तथ्य, विचार एवं व्यवहार में सुधार करने का मौका मिलता है।

जनमत: पत्रकारिता के कार्यों में सबसे प्रमुख है जनमत को आकार देना, उसको दिशा-निर्देश देना और जनमत का प्रचार प्रसार करना। पत्रकारिता का यह कार्य लोकतंत्र को स्थापित करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पत्रकारिता अर्थात् मीडिया लोगों के मध्य जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम है, और यह शासक पर सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है और यह तभी संभव है जब बड़ी आबादी तक मीडिया व अखबारों की पहुँच संभव हो।

एजेंडा निर्धारण: इन कार्यों के अलावा पत्रकारिता अर्थात् मीडिया अब एजेंडा निर्धारण करने के कार्य में भी शामिल हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि मीडिया ही सरकार और जनता का एजेंडा तय करता है। मीडिया में जो चर्चा हो रही है वह मुद्दा है और जो मीडिया से नदारद है वह मुद्दा नहीं रह जाता। एजेंडा निर्धारण में मीडिया की यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गयी है। मीडिया में कौन-सी बात उठ रही है। इसे सरकार प्राथमिकता देने लगी हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई भी कर रही हैं। दूसरी ओर जनता भी मीडिया के माध्यम से जो दिशा-निर्देश देते हैं, उसी हिसाब से सरकारें अपना कामकाज करने लगी हैं। मीडिया में किसी खबर के आने के बाद सरकार एवं जनता यह तय करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा।

पत्रकारिता के सिद्धांत

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस हिसाब से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधयिका जैसे तीन स्तंभ को बांधे रखने के लिए पत्रकारिता एक कड़ी के रूप में काम करती है। इस कारण पत्रकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इसका पालन करें क्योंकि यह पत्रकारिता का आदर्श है। इस आदर्श का पालन कर एक पत्रकार पाठकों का विश्वास जीत सकता है और यह विश्वसनीयता समाचार संगठन की पूँजी है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना जरूरी है-

यथार्थता: पत्रकार पर सामाजिक और नैतिक मूल्य की जवाबदेही होती है। यह वास्तविकता या यथार्थता की ओर इशारा करती है। एक पत्रकार संगठन को अपनी साख बनाए रखने के लिए समाज के यथार्थ को दिखाना होता है। यहाँ कल्पना की कोई जगह नहीं होती है। यही पत्रकारिता की पहली कसौटी है। समाचार समाज के किसी न किसी व्यक्ति, समूह या देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका जुड़ाव सीधे समाज की सच्चाई यानी वास्तविकता से होता है।

वस्तुपरकता: वस्तुपरकता का संबंध सीधे-सीधे पत्रकार के कर्त्तव्य से जुड़ा हुआ है। जहां तक

वस्तुपरकता की बात है तो पत्रकार को समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वस्तुपरकता का संबंध हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से कहीं अधिक है। किसी भी परिस्थिति में एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने समाचार प्रस्तुतीकरण में वस्तुपरकता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही वस्तुपरकता को तथ्यपरकता से आंकना जरूरी है क्योंकि वस्तुपरकता और यथार्थता के बीच काफी कुछ समानताएँ भी हैं और दोनों के बीच अंतर भी है। यथार्थता का संबंध अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति उस तथ्य को कैसे देखता है। पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेख में वस्तुपरकता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

निष्पक्षता: पत्रकारिता की राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। इसलिए पत्रकारिता को सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष होते हुए सच्चाई एवं न्याय के साथ होना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का प्रमुख सिद्धान्त है, उसका निष्पक्ष होना। पत्रकार को इसका शतप्रतिशत पालन करना जरूरी है तभी उसके समाचार संगठन की साख बनी रहेगी। आज मीडिया की ताकत बढ़ी है। एक ही झटके में वह किसी को सर-आँखों पर बिठा सकती है, तो किसी को जमीन पर गिरा भी सकती है। इसलिए पत्रकार एवं पत्रकार संगठनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह निष्पक्ष होकर हमेशा सच्चाई को सामने रखें।

संतुलन: पत्रकारिता में निष्पक्षता के साथ संतुलन की बात भी जुड़ी हुई है। जब किसी समाचार के कवरेज पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह संतुलित नहीं है तो यहाँ यह बात सामने आती है कि समाचार किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। यह ऐसे समाचार में सामने आती है जब किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो ऐसी स्थिति में पत्रकार को चाहिए कि संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने-अपने समाचारीय महत्त्व के अनुसार स्थान देकर समाचार को संतुलित बनाए रखें।

प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression)

अनुच्छेद-19(1)(क) भारत के सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है-अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद-19(1)(क) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है। विचारों के जितने भी साधन हैं वे इसके अन्तर्गत आते हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित को अनुच्छेद-19(1)(क) के अन्तर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता (साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962): प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है- सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अपने विचारों को प्रकाशित करना। अत: यदि कोई विधि विचारों के प्रकाशन पर पूर्वावरोध (Precensorship) का प्रावधान करती है तो वह संविधान के अनुच्छेद-19(1) द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। भारत में प्रेस को कोई विशेषाधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी वही मापदंड है जो सामान्य नागरिक के लिए हैं। अत: वे प्रतिबंध जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, वे प्रेस की स्वतंत्रता पर भी लागू होते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े बिन्दु निम्नलिखित हैं-

- औद्योगिक संबंधों को नियमित करने वाले कानून अर्थात् वे सभी कर संबंधी व उद्योग संबंधी कानून लागू होते हैं जो अन्य व्यवसायों पर हैं।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तों का नियमन अर्थात् सरकार द्वारा प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह प्रेस पर भी लागू होगा।
- मानहानि (Defamation) सदन व न्यायालय की अवमानना आदि मामले इन पर भी लागू होते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा, 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को घृणा, मजाक या तिरस्कार का पात्र बनाकर पेश करना मानहानि है। न्यायालयों ने इस धारा को संवैधानिक दृष्टि से विधि मान्य ठहराया है। संसद की कार्यवाही का प्रसारण प्रेस द्वारा होता रहता है परन्तु उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वह संसदीय विशेषाधिकारों की मर्यादा को लांघे।

आवश्यकता क्यों

पत्रकारिता में मानदंडों और नैतिक मूल्यों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। इनके साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, किन्तु वर्तमान परिदृश्य में ऐसा नहीं हो रहा है।

- पत्रकारिता एक महान पेशा है। पत्रकारिता में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह लोगों तक निष्पक्ष और सही खबरें पहुँचाएगा किन्तु हालिया कई घटनाओं में बिना सच्चाई जाने अखबारों द्वारा कई भ्रामक खबरें प्रकाशित की गई हैं।
- आरंभ से ही पत्रकारिता एक मिशन रही है जिसने समाज के खिलाफ अराजकतावादी ताकतों से हमेशा संघर्ष किया है। किन्तु वर्तमान में धार्मिक व सामाजिक मामलों पर अखबार मीडिया दो धड़ों में बँटती हुई नजर आयी है।
- वर्तमान में यह पेशा अपना आदर्श खोता जा रहा है। पत्रकारिता पर व्यावसायिकता और अन्य चीजें हावी होती जा रही हैं।
- हालात ऐसे हो गए हैं कि ताजा घटनाक्रमों को सही तरीके से जानने के लिए लोगों को कम से कम चार-पाँच बड़े अखबार पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा यही हाल टीवी चैनलों के साथ भी है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।
- आज के दौर की आधुनिक पत्रकारिता सनसनीखेज खबरें परोसने, पेड न्यूज और न्यूज तथा व्यूज के बीच घालमेल करने के चक्रव्यूह में फँस गई है।
- आज के दौर में मीडिया संगठनों द्वारा कृषि सहित ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्हें व्यवस्था की खामियों को उजागर कर जवाबदेही को प्रोत्साहित करना चाहिए, किन्तु ऐसा अपेक्षाकृत नहीं हो पा रहा है।
- मीडिया को चाहिए कि वे नकारात्मकता पर ध्यान देने की अपेक्षा विकास गतिविधियों से जुड़ी खबरों को महत्त्व दें। कृषि, शहरों और गाँवों के बीच की असमानता, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, गरीबी, महिला सुरक्षा, तेजी से होते शहरीकरण का प्रभाव, निरक्षरता तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दें। इसके विपरीत पत्रकारिता की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए किन्तु भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करें।

भारत में पत्रकारिता के लिए आचार संहिता

भारत में एक पत्रकार के लिए व्यापक एवं कठोर आचार संहिता तैयार करना न तो संभव है और न ही विवेकपूर्ण है, क्योंकि 'कोड ऑफ कन्डक्ट' कितना भी वृहद क्यों न हो, इसमें नैतिक आधार पर चर्चा के लिए जो भी संभावित घटनाएँ आती हैं, सभी को शामिल नहीं किया जा सकता है।

समाज, समय के साथ बदलता रहता है इसलिए कठोर नियम या दिशा-निर्देश तैयार करना निरर्थक प्रयास साबित होगा। फिर भी हमें पत्रकारों के काम-काज को विनियमित करने के लिए आचार संहिता के रूप में कुछ दिशा-निर्देश या नियमों की आवश्यकता होती है।

पत्रकारों को उनके काम में मार्गदर्शन करने के लिए समय-समय पर अनेक कोड तैयार किए गए हैं-

- 1968 में आयोजित अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादकों के सम्मेलन (AINEC) ने एक आचार संहिता तैयार की थी।
- राज्यसभा ने पत्रकारों और समाचार पत्रों के लिए अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में एक संसदीय संहिता (1976) अपनाया था। हालांकि 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' कठोर नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसने समय-समय पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
- 1991 में, स्टॉकहोम में आयोजित संगोष्ठी में प्रेस मीडिया को दिशा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता का मसौदा तैयार किया गया। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी पर एक संसदीय स्थायी समिति ने 2013 में दिए अपने रिपोर्ट में पाया कि मीडिया पेड न्यूज के खतरे को लेकर चुप था, इसलिए प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए एक वैधानिक नियामक गठन करने का आह्वान किया गया।

आगे की राह

पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक, उचित भाषा और सभ्य तरीके से जनहित के मामलों पर समाचारों, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना है। वर्तमान समय में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर, समाज और शासन में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। मीडिया का ऐसा प्रभाव है कि यह किसी, व्यक्ति, संस्था या किसी विचार को बना या बिगाड़ सकती है। इतनी शक्ति और इतना प्रभाव होने के बाद भी मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्त्तव्यों और दायित्वों की अनदेखी नहीं कर सकती है। अपने इन विशेषाधिकारों का निर्वहन करने के लिए मीडिया को सूचना एकत्रित करने और प्रसारित करने में कुछ नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है, जैसे समाचारों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना, रिपोर्टिंग में निष्पक्षता बनाए रखना, संयमित और सामाजिक रूप से स्वीकार भाषा का प्रयोग आदि। यदि मीडिया द्वारा इन मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है तो समाज और संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

प्रेस की स्वतंत्रता को बाहरी हस्तक्षेपों से संरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि इसे आंतरिक रूप से भी परिरक्षित किया जाना चाहिए, जैसे- अगर कोई गलत सूचना, जानबूझ कर संचारित की जाती है तो ऐसे में संपादक द्वारा आंतरिक लोकपाल (Internal Ombudsman) 'मीडिया काउंसिल ऑफ पीयर्स' और 'मीडिया वाच ग्रुप' जो मीडियाकर्मियों द्वारा किए गए गलत कार्यों की समीक्षा करती है, का गठन किया जाना चाहिए।

- हमारे देश में आज मीडिया की भूमिका गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि के खिलाफ संघर्ष में लोगों की मदद करने तथा भारत को एक आधुनिक शक्तिशाली तथा औद्योगिक राज्य बनाने की होनी चाहिए।
- मीडिया द्वारा समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में विज्ञान के द्वारा ही देश में उत्पन्न समस्याओं हल किया जा सकता है।
- मीडिया व अखबारों की कोशिश होनी चाहिए कि वह संपूर्ण वैज्ञानिक-दृष्टिकोण को लोगों के बीच व्यापक रूप से फैलाने की कोशिश करें।
- लोगों की सोच को तर्कसंगत, तार्किक और जिज्ञासु बनाने की आवश्यकता है साथ ही अंधविश्वास और पलायनवाद को त्यागना होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. अंतरिम बजट 2019-20 : एक अवलोकन

चर्चा का करण

हाल ही में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया। पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 को पेश करते हुए अगले दशक तक नए भारत के निर्माण को लेकर, केंद्र सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी पेश किया।

परिचय

केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय को सम्मिलित करता है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में देश के लिए एक वित्तीय पैमाना स्थापित करता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला बजट, सदन द्वारा वित्त वर्ष की शुरूआती 1 अप्रैल को लागू होने से पहले पारित किया जाना होता है।

सामान्यत: बजट के कई प्रकार होते हैं, उन्हीं में से एक अंतरिम बजट भी होता है। अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। वोट ऑन अकाउंट के जरिये सीमित अवधि के लिये सरकार के जरूरी खर्च को मंजूरी मिलती है। उल्लेखनीय है कि नई सरकार बनाने के लिए जो समय होता है, उस अवधि के लिए अंतरिम बजट संसद में पेश किया जाता है। चुनाव के बाद बनने वाली सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। अंतरिम बजट में सरकार द्वारा कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें नीतिगत फैसले

हों या जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन की जरूरत पड़े।

बजट के उद्देश्य

बजट के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे-

- संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ताकि लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हो सके।
- गरीबी और बेरोजगारी को कम करना।
- आय की असमानताओं में कमी कर पुनर्वितरण को न्यायसंगत बनाना।
- संसाधनों का पुनर्स्थापन करना।
- सार्वजनिक उद्यमों का वित्तपोषण और प्रबंधन करना।

बजट के प्रकार

सामान्यत: बजट को वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के वार्षिक विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ प्रमुख प्रकार के बजट निम्नलिखित हैं-

- संतुलित बजट: एक सरकारी बजट तब संतुलित बजट कहा जाता है जब सरकारी अनुमानित प्राप्तियाँ (राजस्व और पूँजी) सरकारी व्यय के बराबर होती हैं।
- असंतुलित बजट: जब सरकारी अनुमानित व्यय सरकारी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक या कम होता है, तो बजट को असंतुलित बजट कहा जाता है।
- अधिशेष बजट: जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ सरकारी राजस्व सरकारी व्यय से अधिक होता है तो उसे अधिशेष बजट कहते हैं।
- घाटे का बजट: जब सरकारी अनुमानित व्यय बजट में सरकारी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, घाटे वाले बजट में, सरकार का अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से कम होता है।

अंतरिम बजट 2019-20 का लक्ष्य

- भारत सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2022 तक 'नए भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में और प्रयास किये जाएँ।
- 'नये भारत' में सभी लोगों को शौचालय, जल और बिजली सुलभ होगी।
- नये भारत में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी।
- युवाओं और महिलाओं के सपनों को साकार करने हेतु व्यापक अवसर प्रदान किये जाएँगे
- 'नया भारत' आतंकवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।

अंतरिम बजट 2019 का विश्लेषण

सरकार ने अंतरिम बजट में देश के किसानों, गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों को लाभ देने और अविकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ करने की घोषणा की है।

अंतरिम बजट में पिछले बजट की तुलना में कृषि के लिये करीब-करीब ढाई गुना अधिक वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस बार कृषि के लिये 1,40,763 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाएँ भी शुरू की गयी हैं, जैसे-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:

- केंद्र सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की शुरूआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे।
- यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्राकृतिक आपदा से किसानों को राहत देने के लिए कार्य

- अंतरिम बजट में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन ब्याज छूट यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है।
- इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रदान करने की घोषणा की गई है।

पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र

पशुपालन में कृषकों की भागीदारी बढ़े और वह अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें, इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना की शुरूआत किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत गायों के सम्मान और उनकी रक्षा करने के लिये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। इस योजना के तहत गायों का संरक्षण किया जाएगा तथा राष्ट्रीय गोकुल आयोग का गठन भी किया जाएगा। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कल्याणकारी स्कीमों पर नजर रखेगा। इसके लिये 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मत्स्यपालन विभाग

मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के मद्देनजर अलग से मत्स्यपालन विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्यपालन की गतिविधियाँ चला रहे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ देने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सौगात देते हुए उनके लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है अर्थात् प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं। इस योजना के दायरे में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मासिक आय ज्यादा से ज्यादा 15000 रुपये तक हों।

इस योजना के लिये 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इसे वर्तमान वर्ष से ही लागू किया जाएगा। विदित हो कि इस योजना से 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। हालाँकि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उन्हें हर माह 55 रुपये का योगदान देना होगा।

मनरेगा कर्यक्रम

मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो सरकार की रोजगार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।

घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय के लिये समिति का गठन

अंतरिम बजट 2019 में सभी गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड भी

बनाया जाएगा। बोर्ड समुदायों तक पहुँच के लिये विशेष रणनीतियाँ बनाने के साथ-साथ उसको कार्यान्वित भी करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि विकास व कल्याण कार्यक्रमों की पहुँच इन समुदायों तक नहीं हो पाई है। चूँकि घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय जीवन-यापन के लिये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। हाल ही में रेनके आयोग और आईडेट आयोग ने इन समुदायों की पहचान शुरू करने का काम किया और इन समुदायों की सूची बनाई है जो इस दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि साबित हुई है।

महिलाओं का विकास

- सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में कार्य करते हुए गत वर्षों के बजट में कई पहलें की गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत दो करोड़ से अधिक कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से 70% से अधिक महिला लाभार्थी रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश का लाभ दिया गया।
- युवाओं की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक युवाओं को आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसकी निरंतरता बनी रही जबकि इसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं वित्तीय घाटा छह प्रतिशत की उच्च दर से 2018-19 में घटकर 4.6 प्रतिशत तक पहुँच गया है। जहाँ तक चालू खाता घाटा का प्रश्न है तो यह सीएडी के 6 वर्ष पहले की उच्च 5.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय प्रगति FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में देखा गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने 239 बिलियन डॉलर के व्यापक निवेश को आकर्षित कर पाने में सफलता हासिल की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) एवं व्यापारी

- सरकार द्वारा MSMEs और व्यापार तथा बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार 59 मिनट में 1 करोड़ तक के ऋण को मंजूरी देने की योजना शुरू कर चुकी है। इस राह में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने दो साल पहले कार्य करते हुए सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से पारदर्शी, समावेशी और कुशल बनाया है।
- गौरतलब है कि इस वर्ष बजट में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों का प्रावधान किया गया है। वहीं आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया है।

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए प्रावधान

सरकार ने इस अंतरिम बजट में वेतनभोगी लोगों का ख्याल रखते हुए कई घोषणाएँ की हैं जिनके अनुसार अब 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। भविष्य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश करने वाले जिन व्यक्तियों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपए तक है, उन्हें भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही दो लाख रुपए तक के आवास ऋण के ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है।

- बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- स्मरणीय है कि छोटे करदाताओं को राहत देने के लिये टीडीएस की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- पूँजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूँजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया गया है।
- सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जाएगी। बिना बिक्री संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, वहीं ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा ESI की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुल मिलाकर यह प्रावधान वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स से राहत का अच्छा विकल्प प्रस्तुत कर रही हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम

सरकार ने भ्रष्टाचार रोकथाम पर कार्य करते हुए इस दिशा में जहाँ प्रशासनिक सक्रियता दिखाई है, वहीं वैधानिक कार्यवाही के तहत कई अधिनियम लेकर आयी है, उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लाया गया रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) और बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में काफी कारगार साबित हुई है।

इस तरह का एक अन्य अधिनियम जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 नाम दिया गया, वह ऐसे अपराधियों से निपटेगा जो वित्तीय घोटाला कर देश छोड़ देते हैं। यह अधिनियम भारत में कानूनों के अधिकार क्षेत्र से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने और निपटान में मदद करेगा। इसके साथ कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों तथा स्पेक्ट्रम की पारदर्शी नीलामी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए प्रावधान

देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, पिछड़ा और वंचित वर्ग का होना चहिए। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्न कार्य करने की घोषणा की है-

- गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी।
- शहरों और गाँवों के बीच की खाई को पाटने और गाँवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय तय किया गया है। सभी इच्छित परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सस्ते खाद्यान्न हेतु

2018-19 के दौरान 1,70,000 करोड़ रुपये व्यय किये, साथ ही पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को बढ़ाकर तीन गुना किया है। 2018-2019 के संशोधित अनुमानों में 15,500 करोड़ रुपये की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में पीएमजीएसवाई के लिए 19,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

- 2014-18 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.53 करोड़ आवासों का निर्माण का कार्य किया जा चुका है।
- वर्तमान में आयुष्मान भारत के अंतर्गत नि:शुल्क चिकित्सा से 10 लाख रोगी लाभान्वित हुए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की गई है-

- अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ था। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था।

बुनियादी ढाँचे का विकास

बुनियादी ढाँचे को सशक्त करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिसकी उपलब्धता सराहनीय रही है लेकिन इस दिशा में अभी और कार्य किया जाना बाकी है।

- देश के तटीय क्षेत्रों के साथ सागरमाला का प्रमुख कार्यक्रम आयात और निर्यात कार्गो के तेजी से संचालन के लिए बंदरगाहों का विकास किया गया है।
- कोलकाता से वाराणसी तक अंतर्देशीय जलमार्ग शुरू किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे का विकास

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास पर बल देते हुए 2018-19 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 के बजट में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए बजट आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु परिवहन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है। वहीं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने भी पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति बनायी है। दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गो का आवागमन होना बड़ी सफलता रही है।

डिजिटल ग्राम

सरकार अगले पाँच वर्षों में गाँवों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। उल्लेखनीय है कि लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) नागरिकों को डिजिटल रूप से कई सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का भी गठन करने की सरकारी योजना है ताकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी संचार में प्रगति हो सके।

स्वच्छता के लिए कार्य

सरकार ने स्वच्छता पर बल देते हुए गाँधीजी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी। इस दिशा में भारत में 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल किया गया तथा 5.45 लाख गाँवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है।

रक्षा, गृह और रेल बजट में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी

- 2019-20 के लिये रक्षा बजट के लिये 3,05,296 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तरह रक्षा बजट के लिए पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- इसके अलावा, गृह मंत्रालय के लिये 1,03,927 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं ताकि सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके।

विजन डॉक्यूमेंट 2030 के खास आयाम

विजन डॉक्यूमेंट 2030 में एक ऐसा नया भारत बनाने की बात कही गई है, जहाँ गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी। इस विजन के मुख्य बातों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन के लिये भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना।
- ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना जहाँ युवा वर्ग डिजिटल भारत के सृजन में व्यापक स्तर पर स्टार्ट-अप और इको-सिस्टम में लाखों रोजगारों का सृजन करते हुए इसका नेतृत्व कर सकें।
- भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगीकरण के विस्तार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना।
- सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित पेयजल के साथ स्वच्छ नदियों और लघु सिंचाई तकनीकों के माध्यम से सिंचाई का कुशल उपयोग करना।
- सागरमाला कार्यक्रम के तहत किये जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के साथ-साथ भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्यम से देश के विकास को मजबूती प्रदान करना।
- भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का 'लॉन्च पैड' बन चुका है, जिसकी पुष्टि अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान तथा 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लक्ष्य से होती है।
- सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों का निर्यात करना।
- 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल एवं व्यापक आरोग्यकर प्रणाली के साथ-साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक होगा।
- भारत को न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन वाले एक ऐसे राष्ट्र का रूप देना, जहाँ एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे-से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मूर्त रूप दिया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सरकारी बजट।

■

6. वर्टिकल फार्मिंग : एक वैकल्पिक कृषि

चर्चा का कारण

हाल ही में वेरिफाइड मार्केट रिसर्च (Verified Market Research) ने इस बात पर चिंता जतायी है कि भविष्य में आबादी का एक बड़ा भाग शहरों में रहने लगेगा जिससे खाद्य जरूरतों को पारंपरिक तरीकों से पूरा करना मुश्किल होगा। 'वर्टिकल फार्मिंग मार्केट साइज 2025' नामक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग मार्केट का मूल्य 2017 में 2.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2025 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। ऐसे में वर्टिकल फार्मिंग ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

वर्टिकल फार्मिंग तकनीक क्या है

वर्टिकल फार्मिंग को सामान्य भाषा में 'खड़ी खेती' कहते हैं। इसकी खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों पर की जाती है, जिस कारण इसे बहुमंजिली ग्रीनहाउस भी कहते हैं। इस बहुमंजिली इमारत पर नियंत्रित स्थितियों में फल-सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यह एक प्रकार की मल्टीलेवल प्रणाली है, जिसके तहत सर्वप्रथम कमरों में एक बहुस्तरीय ढाँचा खड़ा किया जाता है। यह ढाँचा कमरे की ऊँचाई के बराबर भी हो सकता है। वर्टिकल ढाँचे के निचले खाने में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता है। टैंक के ऊपरी खानों में पौधों के छोटे-छोटे गमले रखे जाते हैं। इन विभिन्न खानों (रैकों) को हाइड्रोपोनिक सिस्टम (Hydroponic System) के जरिये पोषक तत्त्व पहुँचाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के स्थान पर खनिजयुक्त घोल का प्रयोग होता है। वही पंप के जरिये इन तक काफी कम मात्रा में पानी पहुँचाया जाता है।

इस तरह का प्रबंधन बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इमारत की दीवार काँच की बनी होती है। काँच की दीवारों के जरिये फसलों को लगातार सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त न होने पर एलईडी बल्ब से प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, जबकि छत पर खेती करने के लिए तापमान को नियंत्रित करना पड़ता है। कम्प्यूटर के जरिये यह सुनिश्चित किया जाता है कि घूमने वाले रैकों में उगने वाले प्रत्येक पौधे को एक जैसा प्रकाश मिले। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पानी के पंपो से पोषक तत्त्वों का वितरण समान रूप से हो। उल्लेखनीय है कि इस प्रणाली में मृदा की जरूरत नहीं होती है। इस तरह उगाई गई सब्जियों और फलों में खेतों की तुलना में ज्यादा पोषक तत्त्व पाये जाते हैं। उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियाँ लेट्यूस (सलाद पत्ते) और अन्य प्रकार की हरी सब्जियाँ हैं। कृषि संबंधी कुछ फसलें जैसे मक्का या दूसरे अनाज इस तकनीक में व्यावहारिक नहीं ठहरते हैं। उर्ध्वाधर खेती के बाहरी भाग पर फलदार पेड़ों की छँटाई करके (ताकि परंपरागत बाग के पौधों की तरह इसमें ज्यादा शाखा न हो) उर्ध्वाधर अभिविन्यास में जाली पर उगाया जा सकता है। वर्टिकल फार्मिंग के अंतर्गत अंगूरों को उगाया जा सकता है।

प्रभावी वर्टिकल खेती के लिए विभिन्न भौतिक विधियों को प्रयोग में लाया जाता है, जैसे- गमले, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, हाइड्रोपोनिक्स, प्रेसिजन कृषि, गगनचुंबी इमारत, टेराफार्म, ग्रीनहाउस, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, कम्पोस्ट आदि।

वैश्विक प्रयास

वर्तमान में वैज्ञानिक वर्टिकल फार्म और बाग-बगीचे विकसित करने में जुटे हुए हैं। आने वाले समय में संभावना है कि हरित क्रांति अब बहुमंजिला इमारतों में होगी। इस तरह के खेत न केवल पर्यावरण अनुकूल होंगे बल्कि इनसे शहरों में साग सब्जियाँ और अन्य खाद्य वस्तुओं के संकट का हल खोजने में भी मदद मिलेगी।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में खेत और फल सब्जियों के बगीचे अकसर शहरों से कई किलोमीटर दूर होते हैं। इन खेतों में फसल उत्पादन मौसम की दया पर निर्भर करता है। सूखे जैसी परिस्थितियों में कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है और शहरी जनसंख्या का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। उल्लेखनीय है कि ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान वर्टिकल फार्मिंग को माना जा रहा है।

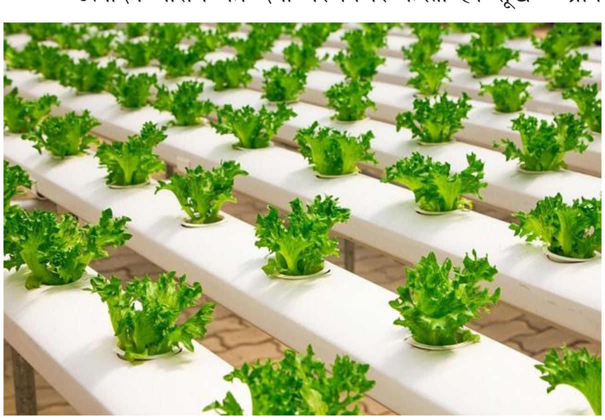

विश्व में वर्टिकल फार्मिंग की स्थिति

अमेरिका, चीन, मलेशिया और सिंगापुर जैसे दुनिया के कई देशों में पहले से ही वर्टिकल फार्मिंग हो रही है। मार्च 2014 में अमेरिका के स्क्रैंटन शहर में दुनिया के सबसे बड़े वर्टिकल खेत का उद्घाटन हुआ था। यह एकमंजिला खेत है जो 3.25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उल्लेखनीय है कि पौधे उगाने के लिए यहाँ एक-दूसरे के ऊपर कई रैकें (खानें) लगाई गई हैं। इसके निर्माण का कार्य मिशिगन की ग्रीन स्पिरिट फॉर्म्स (जीएसएफ) नामक कंपनी ने किया है। यहाँ करीब 1.70 करोड़ पौधे उगाए जा रहे हैं। इस वर्टिकल फार्म में हर साल लेट्यूस (सलाद पत्ते) की 14 फसलें तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ टमाटर, मिर्च, पालक, तुलसी और स्ट्रॉबेरी की भी खेती हो रही है। कंपनी ने अमेरिका के कई हिस्सों में दीर्घकालिक सूखे को देखते हुए वर्टिकल फार्म की डिजाइनिंग भी की है।

वहीं अमेरिका की रक्षा अनुसंधान एजेंसी, टैक्सास में एक 18 मंजिला फार्म में आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों को उगा रही है। इन पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का उपयोग टीके बनाने के लिए किया जाएगा।

जहाँ तक अन्य देशों का प्रश्न है तो दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तकनीक को जोर-शोर से अपनाया जा रहा है। सिंगापुर में चार मंजिला स्काई ग्रीन वर्टिकल फार्म में पौधों के विकास के लिए कृत्रिम रोशनी के स्थान पर प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग किया जा रहा है। इस फार्म में चलती-फिरती रैकों में पत्तागोभी और सलाद पत्ते उगाए जा रहे हैं।

जापान के क्योटो शहर में एक इंडोर फार्म में सलाद पत्तों का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ वर्टिकल फार्मों द्वारा कई औषधियों का भी उत्पादन किया जा रहा है। कई कंपनियों ने तो शहरी स्टैकिंग पुनर्नवीनीकरण शिपिंग कंटेनरों को बनाया

है। वहीं फ्रेट फार्म एक 'पत्तेदार हरी मशीन' का उत्पादन करता है। यह उर्ध्वाधर हाइड्रोपोनिक्स, एलईडी प्रकाश और 12 मीटर ×2.4 मीटर शिपिंग कंटेनर के भीतर निर्मित सहज प्रकाश नियंत्रण के साथ एक पूर्ण फार्म-टू-टेबल सिस्टम है। पौंडपोनिक्स ने अटलांटा (अमेरिका) में एक बड़े पैमाने पर उर्ध्वाधर खेत का निर्माण किया है। इसमें 100 से अधिक ग्रो पॉड (Grow Pod) शामिल हैं। ऐसे ही एक वर्टिकल फार्म का निर्माण ओमान में भी किया गया है। इसमें पौधों की निगरानी के लिए एक तंत्रिका जाल के साथ एकीकृत कम्प्यूटर दृष्टि शामिल होता है, जिससे सभी पौधे दूर से ही एक केन्द्रीय स्थान से मॉनीटर किए जा सकते हैं।

भारत में वर्टिकल फार्मिंग की स्थिति

भारत में आबादी बढ़ने के साथ कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए हमारे देश में भी वर्टिकल फार्मिंग पर विभिन्न शोध किए जा रहे हैं ताकि आबादी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। इसी कड़ी में जयपुर ने वर्टिकल फार्मिंग का सफल प्रयोग किया है। विदित हो कि जयपुर स्थित एक विश्वविद्यालय में पिछले एक साल से वर्टिकल फार्मिंग पर रिसर्च की जा रही थी जिसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। इस शोध ने साबित किया है कि अब आम लोग अपनी छतों पर भी अपने उपयोग लायक सब्जियाँ उगा सकेंगे। खास बात यह है कि इस फार्मिंग में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता यानी उत्पादन पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। वर्तमान में टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, ब्रोकली, चीनी कैबेज, पोकचाई, बेसिल, टेड कैबेज का उत्पादन इस तकनीक द्वारा किया गया है।

अनुमान है कि आने वाले समय में पूरे पश्चिमी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए यह शोध काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकेगी।

वर्टिकल फार्मिंग के फायदे

- वर्टिकल फार्मिंग काफी हद तक खाद्य संकट को खत्म कर सकता है क्योंकि इसमें अनाज और सब्जियाँ शहरों में इमारतों के ऊपर ही पैदा की जाती हैं।
- वर्टिकल फार्मिंग में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम संबंधी समस्याओं से संरक्षण प्राप्त होता है, साथ ही फसल नष्ट होने या खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है।
- परम्परागत खेती में जहाँ कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, वहीं वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद की कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इससे उत्पादित आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, जिसका उत्पादन सालभर किया जा सकता है।
- इस तरह की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ऐसे में कम वर्षा वाले जगहों के लिए वर्टिकल फार्मिंग एक सही विकल्प साबित हो सकती है।
- इस खेती के माध्यम से कम स्थान पर भी अधिक उत्पादन किया जा सकता है।
- यदि भविष्य में बड़े पैमाने पर यह खेती होती है तो खाने-पीने के सामान के दामों में कमी आएगी।
- खेती के पारंपरिक तरीकों के विपरीत वर्टिकल फार्मिंग से कम लागत पर कम समय में अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है।
- इस तकनीक से परिवहन लागत को कम किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे स्थान को चुनकर जहाँ पैदावार की खपत कम हो उसके आस-पास वर्टिकल फार्मिंग करना उपयुक्त रहता है।
- वर्टिकल फार्मिंग में मजदूर की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है, साथ ही यह खेती देखने में भी बहुत आकर्षक लगती है।

चुनौतियाँ

वर्टिकल कृषि के कुछ पेचीदा पहलू भी हैं, जो इस तकनीक के प्रसार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे-

- वर्टिकल फार्मिंग से उगाये जा रहे कुछ पौधों के लिए पर्याप्त प्रकाश सुनिश्चित करना होता है। अगर इमारती ढाँचे की इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं हो, तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि पौधों की सामान्य वृद्धि हो सके।
- परागण एक अन्य चुनौती है, विशेष रूप से क्रॉस पॉलिनेटड फसलों के मामले में। इनडोर फार्म में परागण कीट नहीं होते हैं, इसलिए परागण हाथ से करना होता है। इसमें काफी लागत आती है और समय भी खर्च होता है।
- बहुत-से उद्यमी वर्टिकल फार्मिंग इकाइयों में मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद और मोम, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसे महँगे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है, लेकिन यह सरल कार्य नहीं है।
- भारत में वर्टिकल फार्मिंग के अधिकतर क्षेत्रों में प्रसार न हो पाने के मुख्य वजहों में से एक शोध एवं विकास का अभाव भी है। उल्लेखनीय है कि वर्टिकल खेती की तकनीक को बेहतर बनाने और लागत कम करने के लिए शायद ही कोई संस्थागत शोध चल रहा है।

आगे की राह

वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती भारत में अभी पूर्णतः नया है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहां उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरूआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया। इन शहरों में बहुत-से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स जैसे जानी-मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वर्टिकल खेती में उन्नत तकनीक की जरूरत होने के कारण यह आम आदमी की पहुँच से बाहर है, इसलिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शोध एवं विकास केंद्र स्थापित करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि वर्टिकल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे इस कृषि प्रणाली के आर्थिक, पर्यावरण और अन्य लाभ हासिल किए जा सकेंगे। कृषि उपज की बड़ी मात्रा को शहरों में भेजने से यातायात जाम और वाहन प्रदूषण समेत जटिल समस्याएँ पैदा हो रही हैं। इसके अलावा इन उपजों को भेजने में भारी मालभाड़ा की लागत आती है। इसके मद्देनजर शहरों को अपनी जरूरत के एक हिस्से की आपूर्ति स्थानीय उत्पादन से करनी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान हालातों को देखते हुए सरकार को वर्टिकल कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

■

7. यमुना नदी : मृतप्राय जीवनदायिनी

चर्चा का कारण

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार से जवाब माँगा है। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को 10-10 करोड़ रुपये का हर्जाना भरने के लिए कहा है इसके लिए एनजीटी ने तीनों राज्यों को एक महीने का वक्त दिया है।

परिचय

यमुना नदी का उद्गम स्रोत बन्दरपूँछ रेंज के पश्चिमी ढलान पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज (इलाहाबाद) में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लम्बाई 1376 किलोमीटर है। यह भारत के सात राज्यों से गुजरती है। हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती है, जहाँ पश्चिम की ओर इसमें गिरि और पूर्व की ओर आसन नदियाँ आकर मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन इत्यादि नदियाँ यमुना के दायें तट की प्रमुख सहायक नदियाँ है।

यमुना पश्चिमी हिमालय से निकल कर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर तय कर उत्तरी सहारनपुर (मैदानी इलाका) में पहुँचती है। फिर यह दिल्ली, आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की औसत गहराई 10 फीट (3 मीटर) और अधिकतम गहराई 35 फीट (11 मीटर) तक है। दिल्ली के निकट नदी में अधिकतम गहराई 68 फीट (50 मीटर) है, जबकि आगरा में यह गहराई 3 फुट (1 मीटर) है। इसका बहाव क्षेत्र 3,66,223 वर्ग किमी. है।

यमुना नदी, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा और अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के कई औद्योगिक शहरों से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि इन औद्योगिक राज्यों से गुजरने की एक भारी कीमत यमुना चुका रही है, जिसे साधारण शब्दों में प्रदूषण कहा जाता है।

अन्य नदियों की स्थिति

जीवनदायिनी कही जाने वाली देश की नदियों का अस्तित्व खतरे में है। तकरीबन 223 नदियों का पानी इस कदर प्रदूषित है कि आचमन करने लायक भी नहीं है। इनमें गंगा और यमुना तो भयंकर रूप से प्रदूषित हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश की 62 फीसदी नदियाँ गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। इनमें गंगा और यमुना समेत इनकी सहायक नदियाँ भी शामिल हैं। 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की सिर्फ 198 नदियाँ स्वच्छ हैं इनमें भी अधिकांश छोटी नदियाँ हैं, जबकि बड़ी नदियों का पानी प्रदूषण की चपेट में हैं।

नदियों की स्वच्छता के पैमाने पर महाराष्ट्र का सबसे अधिक बुरा हाल है। यहाँ की सिर्फ 7 नदियाँ ही स्वच्छ हैं, जबकि 45 नदियों का पानी प्रदूषित है। इसके बाद प्रदूषित नदियों में उत्तर प्रदेश का स्थान है। यहाँ की 11 नदियाँ प्रदूषित हैं, जबकि 4 नदी ही स्वच्छ हैं। उत्तराखंड में भी 9 नदियाँ प्रदूषित हैं, जबकि 3 ही स्वच्छ हैं। इसके अलावा बिहार की 3 और झारखंड की 6 नदियाँ प्रदूषित हैं। बोर्ड के मुताबिक दक्षिण-पूर्व भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ नदियाँ हैं।

बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) क्या है?

नदियों में प्रदूषण की जाँच बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के मानक पर होती है। पानी में अगर कचरा अधिक होगा तो उसे नष्ट करने के लिए पानी में मौजूद ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होगी अर्थात् जितना अधिक बीओडी होगा, नदी में उतना ही ज्यादा प्रदूषण होगा। वैसे पेयजल में बीओडी अधिक से अधिक 2 मिग्रा. होना चाहिए जबकि नहाने में ज्यादा से ज्यादा 3 मिग्रा. लेकिन देश की 323 नदियों में बीओडी 3 मिग्रा. प्रति लीटर से अधिक पाया गया है।

यमुना नदी में प्रदूषण के कारण

- विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लगभग 60% अपशिष्ट पदार्थ यमुना नदी में डम्प करती है। रिपोर्ट के अनुसार नदी मल-मूत्र से भरी हुई है, इसलिए पीने की बात तो दूर यह पानी नहाने और कपड़े धोने के लायक भी नहीं है।
- यमुना नदी क्षेत्र में वर्ष 2000 तक केवल 81 उद्योग ही स्थापित थे लेकिन वर्तमान में उद्योगों की संख्या लगभग 500 तक पहुँच गई है। इन उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ जैसे- क्रोमियम, आर्सेनिक और कैडमियम का उत्सर्जन होता है जो सीधे यमुना नदी में जाकर मिल जाता है।
- इसके लिए न केवल औद्योगिक क्षेत्र को दोषी ठहराया जाना चाहिए, बल्कि खराब सीवेज प्रणाली, संतृप्त लैंडफिल, नदी के आस-पास बढ़ती मानव बस्तियाँ तथा कृषि अपशिष्ट जो सीधे यमुना में मिल जाते हैं, को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बर्तन व कपड़े नदियों में धोते हैं, उसके आस-पास शौच करते हैं, आदि के कारण भी यमुना सहित कई नदियाँ प्रदूषित होती है।
- प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में मवेशियों की धुलाई, घरेलू या औद्योगिक अनौपचारिक अपशिष्ट तथा धार्मिक गतिविधियाँ जैसे- मूर्तियों का विसर्जन आदि शामिल हैं।
- दिल्ली मेट्रो ने भी इस नदी को दूषित करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने नदी में लगभग 50,000 मीट्रिक टन से अधिक मलबा डाला है। इस बात को 'डीएमआरसी' ने भी स्वीकार किया है कि यमुना में पश्चिमी तट पर (सराय काले खाँ के पास) लगभग 10 मीट्रिक टन मलबा डाला गया है।
- दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण यमुना के जल का भारी मात्रा में दोहन भी प्रदूषण का मुख्य कारण है।
- जहाँ तक प्रश्न सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का है, इससे भी यमुना काफी हद तक प्रदूषित हुई है। दिल्ली में हर रोज लगभग 327 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है लेकिन महज 276 करोड़ लीटर सीवेज का ही ट्रीटमेंट हो पाता है।

प्रभाव

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे कृत्यों के दुष्परिणाम अब हम पर ही पड़ रहे हैं।

- दिल्ली में यमुना नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य है जिसके कारण यह किसी भी जलीय जीव के लिए खतरनाक है।
- यमुना नदी में डम्प किए गये जैविक अपशिष्ट से शैवालों की उत्पत्ति (जिसे यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है) का कारण होता है। शैवालों की उत्पत्ति नदी जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है।
- यमुना नदी में पिछले 20 वर्षों में आर्सेनिक का स्तर लगभग 20 गुना बढ़ गया है। ज्ञातव्य है कि आर्सेनिक को 'स्लो प्वॉइजन' (Slow

Poison) के नाम से जाना जाता है। इससे कैंसर और त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि आर्सेनिक घुले जल का उपयोग करने वाले किसान इस तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं।

- भारत में एक बड़ी आबादी हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसी बीमारियों से पीड़ित है, जबकि पानी की स्वच्छ आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और सैनिटरी सुविधाओं को ठीक कर इन बीमारियों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। दुरुस्त व्यवस्था न होने से आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर ही खर्च होता है।
- इसके अलावा यमुना नदी के प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के वातावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- दिल्ली में टूरिज्म, जल परिवहन और मछली पालन को काफी धक्का लगा है जिससे मछली पालन उद्योग से जुड़े हजारों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है।
- जैव विविधता के ह्रास होने से प्रवासी पक्षियों के आगमन में कमी आयी है।

सरकारी प्रयास

1909 में जब देश की दो महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया तो यमुना नदी का पानी "गंगा नदी के पानी की तुलना में" स्पष्ट नीले रंग का पाया गया। लेकिन एक सदी बाद खासकर भारत की राजधानी नई दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में बहने वाली यमुना नदी को देश की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है।

यमुना कार्य योजना (वाईएपी) देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यह भारत सरकार और जापान के बीच संचालित एक द्विपक्षीय परियोजना है। जापान की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापानी बैंक (जेबीआईसी) के तहत इस परियोजना को पूरा करने के लिए 17.7 अरब येन का वित्तीय अनुदान प्रदान किया है। इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय और भारत सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

यमुना कार्य योजना

वर्ष 1993 में देश की सबसे प्रदूषित नदी यमुना को साफ करने के लिए यमुना कार्य योजना (वाईएपी) औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। अभी तक यमुना कार्य योजना प्रथम और यमुना कार्य योजना द्वितीय दोनों चरण पूरे हुए हैं।

प्रथम यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आठ शहरों तथा हरियाणा के छह शहरों को शामिल किया गया। इसके बाद द्वितीय यमुना कार्य योजना के तहत दिल्ली में 22 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यमुना नदी की सफाई पर जोर दिया गया। तृतीय यमुना कार्य योजना के तहत, भारत की राजधानी दिल्ली पर मुख्य जोर दिया गया है क्योंकि यह यमुना नदी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जिसमें दिल्ली शहर के ज्यादातर मैले पानी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। दिल्ली में यमुना कार्य योजना के तृतीय चरण की अनुमानित लागत 1,656 करोड़ रुपये है। ज्ञातव्य है कि 2013 में तृतीय यमुना कार्य योजना शुरू की गई जिसे 2015 तक पूरा किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत-

- 950 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और ट्रंक सीवर के पुनर्वास पर जोर दिया गया है।
- यमुना एक्शन प्लान के तीसरे चरण की अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है।
- यमुना एक्शन प्लान के तहत सरकार द्वारा कुल 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 11 दिल्ली में, 3 उत्तर प्रदेश में, 2 हरियाणा में और 1 परियोजना हिमाचल प्रदेश में है।
- इन योजनाओं को पूरा होने में लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सफलता दर

प्रथम और द्वितीय यमुना कार्य योजना के तहत, प्रदूषित यमुना नदी की सफाई, यमुना की जैविक ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर की माँग के अनुरूप की गई थी। इन दो चरणों के तहत 286 योजनाएँ, जिसमें 39 वाहित मल उपचार संयंत्र (एसटीपी) शामिल हैं, जिनको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहरों में 1,453.17 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया और प्रतिदिन 767.25 मिलियन लीटर वाहित मल की उपचार क्षमता का निर्माण किया गया है।

ऊर्जा और संसाधन संस्था (TERI) द्वारा हाल ही में दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के जलीय जीवन और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की पूर्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 3.46 बिलियन लीटर ताजे पानी के प्रवाह की आवश्यकता है। यह मात्रा दिल्ली की दैनिक जरूरत के आधार पर दिए जाने वाले पानी की मात्रा के बराबर है। टेरी द्वारा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यमुना कार्य योजना, यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता को सुधारने में 100% सफल नहीं हो सकी है, लेकिन यह भी सच है कि इसके कार्यान्वयन के बाद पानी की गुणवत्ता में भी सुधार नहीं हुआ है।

अन्य परियोजनाएँ

जून 2014 में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के पानी के प्रदूषण के स्तरों की जाँच करने के लिए एक विस्तृत इंटरसेप्टर सीवर परियोजना शुरू की, ताकि सभी नालियों के पानी को यमुना नदी में डालने से पहले संशोधित किया जा सके।

इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पानी निकालने की परियोजना 2031 तैयार की है, जिसके अनुसार उन स्थानों पर सीवरेज सिस्टम बिछाए जाने की योजना है। यह परियोजना, दिल्ली की तीन प्रमुख नालियोंः सप्लीमेंट्री, शाहदरा और नजफगढ़ के साथ-साथ 59 किलोमीटर लंबी इंटरसेप्टर सीवर स्थापित करेगी, जो लगभग 190 सहायक लघु नालियों के मैले पानी को संशोधित करेंगे और इसको निकटतम मैला उपचार संयंत्र (एसटीपी) में ले जाएंगे।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों के अनुसार नीलोथी, दिल्ली गेट, पप्पाकलन, चिल्ला और कापसहेड़ा में कुछ नए मैल उपचार संयंत्र (एसटीपी) बनाए जा रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के लिए उच्च मानक हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशः- 13 जनवरी, 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मैली से निर्मल यमुना पुनरोद्धार योजना, 2017 के तहत यमुना नदी को साफ करने के लिए निर्देश दिये हैं जो निम्न हैं-

- नदी में अपशिष्ट या धार्मिक सामग्री फेंकने के लिए व्यक्तियों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाना।
- यमुना में निर्माण सामग्री का मलबा डालने से प्रतिबंधित करना।
- रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा यमुना नदी के बाढ़ के मैदान क्षेत्र पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाना।
- एनजीटी द्वारा राज्यों को निर्देश दिये गए हैं कि यमुना और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाये।
- विशेषज्ञ समिति द्वारा यह निर्देश दिया गया कि दिल्ली सरकार अपने बजट का कुल

4000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए देगी।

- बेंच ने एक प्रमुख समिति गठित करने का फैसला किया जो कि फैसले के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

फायदे

- यदि यमुना पूरी तरह साफ हो जाती है तो इससे न केवल पर्यावरण साफ-सुथरा होगा, बल्कि पर्यटन, जल परिवहन और मछली पालन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिये सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रवासी पक्षियों का आगमन बढ़ेगा और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा।
- गंगा की सहायक नदियाँ अगर साफ होंगी तो इन सहायक नदियों से निकलकर जो अपशिष्ट पदार्थ सीधे गंगा नदी में जाता है उस पर भी रोक लगेगी और गंगा व उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ होने में मदद मिलेगी।
- चूँकि इन नदियों के किनारे पर ही अनेक महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, जिनमें जल संकट व्याप्त हैं। अगर ये नदी स्वच्छ होती हैं तो इन शहरों में जल संकट दूर होगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार होगा क्योंकि जलजनित रोगों से भारत में आय का एक बड़ा हिस्सा फिजूल ही खर्च होता है।
- सिंचाई व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होगी।
- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान भी सफल होगा।

चुनौतियाँ

यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-

- यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई जिसके तहत करोड़ों रुपये बर्बाद किए गये। आज लगभग 25 वर्ष बाद भी यह नदी स्वच्छ होने के बजाय और प्रदूषित होती जा रही है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा भ्रष्टाचार का बोल-बाला है।
- यमुना नदी के प्रदूषण को खत्म करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट आवंटित नहीं किया गया।
- दिल्ली एनसीआर में बढ़ता औद्योगिकीकरण।
- जनसंख्या का बढ़ता दबाव।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कमी, साथ ही जो मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट हैं, उनकी स्थिति दयनीय है।
- शहरों में मुक्त अपशिष्ट पदार्थों के रिसाइकिल के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ।
- तकनीकी रूप से पिछड़ापन।
- लोगों में जागरूकता की कमी।
- सिंचाई के लिए नदियों के जल का बढ़ता दोहन।
- योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से न होना।
- एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग बॉडी का न होना।

आगे की राह

- यमुना नदी के पानी का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- अत्यधिक मैले और गंदे पानी के उपचार संयंत्र स्थापित करने और अपशिष्ट जल के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।
- सिंचाई के लिए यमुना नदी से उपयोग किए जा रहे जल की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने से इस नदी की पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रही है।
- पर्यावरणविदों के अनुसार यमुना नदी में डम्प किए जाने से पहले अपशिष्ट पदार्थों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।
- अब समय आ गया है कि सरकार विदेशों से तकनीकी सहायता लें कि कैसे अपनी स्थानीय नदियों को सुरक्षित रखें।
- देश में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को दुरुस्त किया जाए, साथ ही इनकी संख्या में भी वृद्धि किया जाए।
- यमुना किनारे मौजूदा बस्तियों को स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ताकि यमुना नदी के बहाव क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण न हो सके।
- यमुना नदी के पास नए बैराज, सड़क, मेट्रो, रेलवे पुल एवं तटबंधों के निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए।
- चूँकि दिल्ली में कचरा भराव क्षेत्रों (Land fill Sites) की कमी है, इसलिए अधिकांश कचरे को नदी में ही फेंक दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर में कचरा भराव क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है।
- सरकार द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति को मजबूत किया जाना चाहिए तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
- दिल्ली एनसीआर व अन्य राज्यों में प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

संविधान का बुनियादी ढाँचा : एक विश्लेषण

प्र. संविधान के बुनियादी ढाँचे में कौन-कौन से तत्त्व उपस्थित हैं? सम्यक् विवेचना कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- बुनियादी ढाँचे का सिद्धान्त: एक अवधारणा
- बुनियादी ढाँचे के सिद्धान्त का सफर
- बुनियादी ढाँचे के सिद्धान्त का अनुपालन
- संविधान के बुनियादी ढाँचे में शामिल तत्त्व
- संविधान के बुनियादी ढाँचे का विश्लेषण
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक तौर पर आरक्षण असंवैधानिक है और ये कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी आरक्षण की अधिकतम सीमा का हनन करता है। याचिका में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की माँग की गई है। दिल्ली के गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'यूथ फॉर इक्विलिटी' द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संशोधन से संविधान की मूल संरचना का अतिक्रमण होता है।

परिचय

- ''बुनियादी संरचना का सिद्धांत'' भारतीय न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित एक अनोखा नवाचार है, जो संसद की असीमित शक्ति पर रोक लगाता है। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि संसद अपनी संविधान संशोधन की शक्ति के अधीन ही संविधान के मूलभूत अथवा बुनियादी संरचना को संशोधित करने का अधिकार रखता है। आज से लगभग 45 वर्ष पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद' में यह निर्णय दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है क्योंकि संविधान का मूलभूत ढाँचा अपरिवर्तनीय है।

बुनियादी ढाँचे का सिद्धान्त: एक अवधारणा

- न्यायपालिका द्वारा बुनियादी संरचना की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। बुनियादी संरचना के सिद्धान्त को न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया गया है। संविधान का कोई भाग या अनुच्छेद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं इसका निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है।

बुनियादी ढाँचे के सिद्धान्त का सफर

- **शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951):** संशोधन विधि से मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, जबकि सामान्य विधि से मूल अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं।
- **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965):** इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से शंकरी प्रसाद मामले में किये गये निर्णय को उचित माना और निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों सहित संशोधन किया जा सकता है।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):** उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ (मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बाराव) ने 6:5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के विनिश्चयों को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकार में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
- **केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973):** इस वाद में 7:6 के बहुमत से कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किन्तु वह असीमित नहीं है और वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिसमें संविधान के मूल तत्त्व या उसका आधारभूत ढाँचा (Basic structure) नष्ट हो जाये। संसद की इस शक्ति पर परिसीमाएँ भी हैं जो स्वयं संविधान में निहित हैं। संसद को इस परिधि के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग करना है।

बुनियादी ढाँचे के सिद्धान्त का अनुपालन

- स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर आधारित लोकतंत्र
- विधि का शासन (Rule of law)
- न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review) की शक्ति

संविधान के बुनियादी ढाँचे में शामिल तत्त्व

- संघात्मक शासन प्रणाली।
- राष्ट्र की एकता और अखण्डता।
- कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
- व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा।
- विधि का शासन।

संविधान के बुनियादी ढाँचे का विश्लेषण

- बुनियादी संरचना का सिद्धान्त व्यक्तिपरक और अस्पष्ट है। यह केस टू केस के आधार पर न्यायपालिका द्वारा तय किया जाता रहा है। संभवत: इसका यह भी कारण हो सकता है कि अगर न्यायपालिका संसद को बुनियादी संरचना की स्पष्ट सूची दे दे, तो संसद कुछ अन्य विकल्पों के साथ आगे आ सकती है।
- इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बुनियादी संरचना का सिद्धान्त कानूनी रूप से वैध है, क्योंकि यह संविधान के विभिन्न भागों और इतिहास में ही निहित नहीं है बल्कि इसमें पर्याप्त नैतिक मूल्य भी हैं। इसका मूल उद्देश्य सरकार की निरंकुशता को सीमित करके लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह सिद्धान्त हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है और संसद के असंवैधानिक संशोधनों पर पूर्ण विराम भी लगाता है।

निष्कर्ष

- देश के बदलते सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में प्रावधानित संशोधन प्रावधान वास्तव में कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन न किया जाए जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। साथ ही संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। ■

सुपरफूड को बढ़ावा

प्र. मोटे अनाजों को सुपरफूड की संज्ञा दी जाती है। इस संदर्भ में मोटे अनाजों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- मिलेट विलेज स्कीम क्या है?
- परिचय
- मोटे अनाजों का महत्त्व क्यों?
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केरल सरकार ने पोषक तत्त्वों से भरपूर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट विलेज स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें मोटे अनाजों की खेती को अधिक-से-अधिक जिलों में विस्तारित करने पर बल दिया जाएगा। विदित हो कि ज्वार एवं बाजरा मोटे आनाजों की श्रेणी में आते हैं। पोषण तत्त्वों से समृद्ध होने के कारण इन अनाजों को न्यूट्रिया मिलेट्स भी कहा जाता है। दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए मिशन स्तर पर मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है।

मिलेट विलेज स्कीम क्या है?

- केरल राज्य कृषि विभाग द्वारा बाजरे को नवीनतम आहार की मुख्य सामग्री के रूप में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में बाजरा ग्राम योजना (Millet Village Scheme) का सफल क्रियान्वयन भी किया गया है।
- बाजरा ग्राम योजना (Millet Village scheme) के तहत कृषि विभाग ने 1,200 एकड़ में रागी (Finger Millet), थिना (Thina-Foxtail Millet), चोलम (Sorghum-Tokj) और कुथिरवली (Kuthiravaali-बार्नीयार्ड बाजरा) की फसलों का उत्पादन किया।

परिचय

- सामान्यत: मोटे अनाजों को दो भागों में बाँटा जाता है। मोटे अनाज के प्रथम वर्ग में ज्वार और बाजरा आते हैं जबकि द्वितीय में बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज जैसे रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सांवा और कुटकी आदि आते हैं। विशेषज्ञ पोषण की अधिकता के कारण मोटे अनाजों को सुपरफूड की संज्ञा देते हैं।
- जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो मोटे अनाज यहाँ की प्रमुख फसलों में शामिल हैं, जिसका उपयोग भारतीय लोग बहुत लम्बे समय से करते आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बाजरे की फसल मोटे अनाजों में सबसे अधिक उगायी जाने वाली फसल है। इसकी खेती अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल से ही की जाती रही है। वर्तमान में मोटे अनाज के उत्पादन का लगभग आधा भाग बाजरे का है। बाजरे के उत्पादन का अधिकांश भाग देश में ही उपभोग कर लिया जाता है।

मोटे अनाजों का महत्त्व क्यों?

- मोटा अनाज उच्च प्रोटीनयुक्त, सामान्य मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तथा कम पानी की आवश्यकता जैसे कारकों के संयोजन के कारण एक आदर्श फसल है।
- आजकल मधुमेह और मोटापे जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में इस अनाज की माँग तेजी से बढ़ रही है।
- पोषण के लगभग सभी मापदंडों पर यह अनाज चावल या गेहूँ से आगे है। गेहूँ व चावल के मुकाबले उनके अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा है। इनमें से प्रत्येक अनाज में चावल व गेहूँ के मुकाबले ज्यादा रेशा रहता है।
- साथ ही इसमें तरह-तरह के विटामिन होते हैं, जैसे- कैरोटिन, नियासिन, विटामिन बी6 और फॉलिक एसिड आदि। इसमें मिलने वाला लेसीथीन शरीर के स्नायुतंत्र को मजबूत बनाता है। अत: नियमित रूप से बाजरा खाने से भारत की आबादी का अधिकांश भाग कुपोषणमुक्त हो सकता है।

सरकारी प्रयास

- सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिये रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। बाजरा, जिसे कि पोषक अनाज कहा जाता है, को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और इसे मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत शामिल किया जा रहा है।
- पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि 2016-17 के फसल वर्ष में खेती का

रकबा घटकर 1 करोड़ 47.2 लाख हेक्टेयर रह गया है जो वर्ष 1965-66 में 3 करोड़ 69 लाख हेक्टेयर था।

- बाजरा फसलों का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिये पंचवर्षीय योजना के तहत मोटे अनाजों के उपभोग की माँग बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चुनौतियाँ

- सरकारी योजनाओं, फसलों के सरकारी नियंत्रण के साथ खाद्य सुरक्षा जैसी नीतियों ने लाभकारी फसल उगाने का लोभ पैदा किया है। वहीं रही सही कसर जैनेटिकली मॉडीफाइड फसलों ने पूरी कर दी। दूसरी तरफ मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आयी।
- मोटे अनाजों की खेती को राज्यों का समर्थन नहीं मिलता है जिसके कारण मोटे अनाजों की खेती के लिए न तो ऋण मिलता है और न ही इसका बीमा हो पाता है।

आगे की राह

- गेहूँ और धान की भाँति मोटे अनाजों के अनुसंधान, विकास और प्रसंस्करण की सुविधाएँ देश भर में स्थापित किए जाएँ।
- वर्ष 2025 तक लगभग 30 मिलियन टन पौष्टिक अनाजों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा रहा है जिसकी पूर्ति के लिए हमें क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए।
- भारत सरकार को इन अनाजों के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और राज्य सरकारों को इनकी सरकारी खरीद, भंडारण व विपणन के लिए प्रभावी नेटवर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ■

घुमंतू समुदाय को मुख्यधारा में लाने का प्रयास

प्र. हाल ही में केंद्र सरकार ने घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के विकास के लिए नीति आयोग के अधीन एक पैनल गठित करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदाय का परिचय देते हुए इनकी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- घुमंतू समुदाय
- पृष्ठभूमि
- रेनेके कमीशन
- इन समुदायों के समक्ष चुनौतियाँ
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- कार्यकारी वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। बोर्ड समुदायों तक पहुँच के लिए विशेष रणनीतियाँ बनाएगा और इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। ज्ञातव्य है कि इन समुदायों तक सरकार द्वारा संचालित विकास व कल्याण कार्यक्रम नहीं पहुँच पा रहे थे और ये निरंतर पीछे छूटते जा रहे हैं।
- ज्ञातव्य है कि घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय जीवन-यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं।

घुमंतू समुदाय

- ये जाति दलित जातियों से भिन्न हैं जिन्हें घुमंतू और विमुक्त समुदाय कहते हैं। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक जगह पर न रहकर लगातार घूमता रहता है। ये खुले स्थानों, मैदानों या बागों में ठहरकर पशुपालन, पशुओं की चिकित्सा, नाच गाना, करतब, जड़ी-बूटी के व्यापार, कुश्ती और लाठी सिखाने के काम से अपना पेट भरते हैं।

पृष्ठभूमि

- देश भर में लगभग 193 अलग -अलग घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू जातियाँ जैसे सांसी, भेदकुट, छारा, भांतु, भाट, नट, ओड, गदहिला, डोम, बावरिया, गड़ेरिया, बंजारा, कालबेलिया आदि विमुक्त और घुमंतू जातियाँ कहलाती हैं।
- 31 अगस्त, 1952 को संसद में बिल पास हुआ। लम्बे अरसे से गुलाम होने के कारण ये जातियाँ शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से पिछड़ गईं। देश के संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के अंतर्गत जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग का गठन किया तब भी इन लोगों को किसी भी सूची में नहीं निर्दिष्ट किया गया। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइबस एक्ट समाप्त होने के उपरान्त इन जातियों को देश का नागरिक मानकर 1952 में ही इन्हें अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। आज 74 साल बाद भी तरक्की की दौड़ में ये जातियाँ दूसरी जातियों से काफी पीछे हैं, जिनकी आबादी लगभग 15 करोड़ से भी अधिक है।

रेनेके कमीशन

- रेनके आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दुर्भाग्य से 'आपराधिक जनजाति अधिनियम' के समाप्त होने के बाद भी इन जनजातियों को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं।
- अंग्रेजों द्वारा चलाई गई इस कुरीति के चलते आज भी समाज और पुलिस इन लोगों को शक और घृणा की ही नज़र से देखती हैं।
- रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि विमुक्त जनजातियों के लोगों के मामले में न्याय के मूलभूत नियमों तक का उल्लंघन किया जाता है।

इन समुदायों के समक्ष चुनौतियाँ

- इन समुदायों के लोग अभी भी रूढ़िवादी बने हुए हैं इनमें से अधिकांश को भूतपूर्व अपराधी जनजाति की संज्ञा दी गई है।
- ये लोग अलगाव तथा आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करते हैं। इनके अधिकांश पारम्परिक व्यवसायों, जैसे- साँप का खेल, सड़क पर

कलाबाजी करने तथा मदारी का खेल दिखाने आदि को आपराधिक गतिविधियों के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इससे इनके लिए अपनी आजीविका अर्जित करना और भी कठिन हो गया है।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत भी कई अनधिसूचित, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ हैं, किन्तु इन्हें कहीं भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। साथ ही, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लाभों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या विकास व कल्याण कार्यक्रम जैसे अन्य सुविधाओं तक इनकी पहुँच नहीं है।

सरकारी प्रयास

- नीति आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें विमुक्त (DNT), अर्द्ध-खानाबदोश (SNT) तथा खानाबदोश जनजातियों (NT) के लिये एक स्थायी कमीशन गठित करने की बात कही गई है। मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में नीति आयोग ने इन "सर्वाधिक वंचित" समुदायों के कई मुद्दों पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी समूह गठित करने की पेशकश की है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नीति आयोग को यह भी लिखा था कि वह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुसार इन समुदायों के विकास के लिये विजन 2030 तैयार करने हेतु एक कार्यकारी समूह स्थापित करें।

आगे की राह

- संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में आरक्षण के लिए इनको भी पात्र बनाया जा सके।
- डीएनटीएस समुदाय की जहाँ आबादी अधिक है वहाँ, ब्लॉक/तालुका पंचायतों, जिला पंचायतों/जिला परिषदों और शहरी स्थानीय निकायों में भी इनके लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।
- डीएनटीएस की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार एवं विकास निधि में निर्धारित धन का लगभग 10% अतिरिक्त धन आवंटित किए जाने चाहिए। ■

पत्रकारों के लिए आचार संहिता की औचित्यता

प्र. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पत्रकारों के लिए एक व्यापक, कठोर आचार संहिता तैयार करना न तो संभव है और न ही विवेकपूर्ण? तर्क सहित उत्तर दें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- पत्रकारिता के कार्य
- पत्रकारिता के सिद्धांत
- आवश्यकता क्यों
- भारत में पत्रकारिता के लिए आचार संहिता
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केरल में कोल्लम प्रेस क्लब की स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि व्यापक जनभावनाओं को व्यक्त करने के बजाए अखबार आजकल सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण खबरें देने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया संगठनों को अब पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारिता को कभी भी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों से नहीं भटकना चाहिए।

परिचय

- 'पत्रकारिता' अंग्रेजी शब्द 'जर्नलिज़्म' का हिंदी रूपांतरण है 'जर्नलिज़्म' शब्द 'जर्नल' से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ 'दैनिक' होता है। "पत्रकारिता वह विधा है, जिससे पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों का विवेचन किया जाता है, जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए, वही पत्रकारिता है।"

पत्रकारिता के कार्य

- **सूचनाः** अपने आस-पास की चीजों घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का मूल स्वभाव है, उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है।
- **शिक्षाः** समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश-दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुँचाते हैं।
- **लोकतंत्र का रक्षकः** राजनैतिक परिदृश्य में मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है। पत्रकारिता की पहुँच का सीधा अर्थ है जनमत की पहुँच। इसलिए कहा गया है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है।
- **जनमतः** पत्रकारिता के कार्यों में सबसे प्रमुख है जनमत को आकार देना, उसको दिशा-निर्देश देना और जनमत का प्रचार प्रसार करना। पत्रकारिता का यह कार्य लोकतंत्र को स्थापित करता है।
- **एजेंडा निर्धारणः** इन कार्यों के अलावा पत्रकारिता अर्थात् मीडिया अब एजेंडा निर्धारण करने के कार्य में भी शामिल हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि मीडिया ही सरकार और जनता का एजेंडा तय करता है।

पत्रकारिता के सिद्धांत

- **यथार्थताः** पत्रकार पर सामाजिक और नैतिक मूल्य की जवाबदेही होती है। यह वास्तविकता या यथार्थता की ओर इशारा करती है। एक पत्रकार संगठन को अपनी साख बनाए रखने के लिए समाज के यथार्थ को दिखाना होता है। यहाँ कल्पना की कोई जगह नहीं होती है। यही पत्रकारिता की पहली कसौटी है। समाचार समाज के किसी न किसी व्यक्ति, समूह या देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका जुड़ाव सीधे समाज की सच्चाई यानी वास्तविकता से होता है।
- **वस्तुपरकताः** वस्तुपरकता का संबंध सीधे- सीधे पत्रकार के कर्त्तव्य से जुड़ा हुआ है। जहां तक वस्तुपरकता की बात है तो पत्रकार को समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वस्तुपरकता का संबंध हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से कहीं अधिक है। किसी भी परिस्थिति में एक पत्रकार

को जहां तक संभव हो अपने समाचार प्रस्तुतीकरण में वस्तुपरकता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

- **निष्पक्षताः** पत्रकारिता की राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। इसलिए पत्रकारिता को सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष होते हुए सच्चाई एवं न्याय के साथ होना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का प्रमुख सिद्धान्त है, उसका निष्पक्ष होना। पत्रकार को इसका शतप्रतिशत पालन करना जरूरी है तभी उसके समाचार संगठन की साख बनी रहेगी। आज मीडिया की ताकत बढ़ी है। एक ही झटके में वह किसी को सर-आँखों पर बिठा सकती है, तो किसी को जमीन पर गिरा भी सकती है। इसलिए पत्रकार एवं पत्रकार संगठनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह निष्पक्ष होकर हमेशा सच्चाई को सामने रखें।
- **संतुलनः** पत्रकारिता में निष्पक्षता के साथ संतुलन की बात भी जुड़ी हुई है। जब किसी समाचार के कवरेज पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह संतुलित नहीं है तो यहाँ यह बात सामने आती है कि समाचार किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। यह ऐसे समाचार में सामने आती है जब किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो ऐसी स्थिति में पत्रकार को चाहिए कि संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने-अपने समाचारीय महत्त्व के अनुसार स्थान देकर समाचार को संतुलित बनाए रखें।

आवश्यकता क्यों

- पत्रकारिता एक महान पेशा है। पत्रकारिता में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि वह लोगों तक निष्पक्ष और सही खबरें पहुँचाएगा किन्तु हालिया कई घटनाओं में बिना सच्चाई जाने अखबारों द्वारा कई भ्रामक खबरें प्रकाशित की गई हैं।
- वर्तमान में यह पेशा अपना आदर्श खोता जा रहा है। पत्रकारिता पर व्यावसायिकता और अन्य चीजें हावी होती जा रही हैं।
- आज के दौर की आधुनिक पत्रकारिता सनसनीखेज खबरें परोसने, पेड न्यूज और न्यूज तथा व्यूज के बीच घालमेल करने के चक्रव्यूह में फँस गई है।

भारत में पत्रकारिता के लिए आचार संहिता

- भारत में एक पत्रकार के लिए व्यापक एवं कठोर आचार संहिता तैयार करना न तो संभव है और न ही विवेकपूर्ण है, क्योंकि 'कोड ऑफ कन्डक्ट' कितना भी वृहद क्यों न हो, इसमें नैतिक आधार पर चर्चा के लिए जो भी संभावित घटनाएँ आती हैं, सभी को शामिल नहीं किया जा सकता है।
- 1968 में आयोजित अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादकों के सम्मेलन (AINEC) ने एक आचार संहिता तैयार की थी।
- राज्यसभा ने पत्रकारों और समाचार पत्रों के लिए अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में एक संसदीय संहिता (1976) अपनाया था। हालांकि 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' कठोर नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसने समय-समय पर दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

आगे की राह

- पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक, उचित भाषा और सभ्य तरीके से जनहित के मामलों पर समाचारों, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना है।
- हमारे देश में आज मीडिया की भूमिका गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद और सांप्रदायिकता आदि के खिलाफ संघर्ष में लोगों की मदद करने तथा भारत को एक आधुनिक शक्तिशाली तथा औद्योगिक राज्य बनाने की होनी चाहिए।
- मीडिया द्वारा समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में विज्ञान के द्वारा ही देश में उत्पन्न समस्याओं हल किया जा सकता है।
- मीडिया व अखबारों की कोशिश होनी चाहिए कि वह संपूर्ण वैज्ञानिक-दृष्टिकोण को लोगों के बीच व्यापक रूप से फैलाने की कोशिश करें। ■

अंतरिम बजट 2019-20 : एक अवलोकन

प्र. अंतरिम बजट से आप क्या समझते हैं? आम बजट से इसकी भिन्नता को बताते हुए वर्तमान में पेश किए गए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- बजट के प्रकार
- अंतरिम बजट 2019-20 का लक्ष्य
- अंतरिम बजट 2019-20 का विश्लेषण

चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया। पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 को पेश करते हुए अगले दशक तक नए भारत के निर्माण को लेकर, केंद्र सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी पेश किया।

परिचय

- केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय को सम्मिलित करता है। यह आगामी वित्तीय वर्ष में देश के लिए एक वित्तीय पैमाना स्थापित करता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने वाला बजट, सदन द्वारा वित्त वर्ष की शुरूआती 1 अप्रैल को लागू होने से पहले पारित किया जाना होता है।

बजट के प्रकार

- संतुलित बजटः एक सरकारी बजट तब संतुलित बजट कहा जाता है जब सरकारी अनुमानित प्राप्तियाँ (राजस्व और पूँजी) सरकारी व्यय के बराबर होती हैं।
- असंतुलित बजटः जब सरकारी अनुमानित व्यय सरकारी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक या कम होता है, तो बजट को असंतुलित बजट कहा जाता है।
- अधिशेष बजटः जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ सरकारी राजस्व सरकारी

व्यय से अधिक होता है तो उसे अधिशेष बजट कहते हैं।

- घाटे का बजट: जब सरकारी अनुमानित व्यय बजट में सरकारी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, घाटे वाले बजट में, सरकार का अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से कम होता है।

अंतरिम बजट 2019-20 का लक्ष्य

- भारत सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2022 तक 'नए भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में और प्रयास किये जाएँ।
- 'नये भारत' में सभी लोगों को शौचालय, जल और बिजली सुलभ होगी।
- नये भारत में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी।
- युवाओं और महिलाओं के सपनों को साकार करने हेतु व्यापक अवसर प्रदान किये जाएँगे
- 'नया भारत' आतंकवाद, सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।

अंतरिम बजट 2019-20 का विश्लेषण

- सरकार ने अंतरिम बजट में देश के किसानों, गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों को लाभ देने और अविकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ करने की घोषणा की है।
- केंद्र सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की शुरूआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे।
- अंतरिम बजट में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन ब्याज छूट यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है।
- पशुपालन में कृषकों की भागीदारी बढ़े और वह अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें, इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना की शुरूआत किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत गायों के सम्मान और उनकी रक्षा करने के लिये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा।
- मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के मद्देनजर अलग से मत्स्यपालन विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है।
- मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो सरकार की रोजगार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।
- अंतरिम बजट 2019 में सभी गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड भी बनाया जाएगा।
- सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में कार्य करते हुए गत वर्षों के बजट में कई पहलें की गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत दो करोड़ से अधिक कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए हैं।
- सरकार द्वारा MSMEs और व्यापार तथा बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाया जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार 59 मिनट में 1 करोड़ तक के ऋण को मंजूरी देने की योजना शुरू कर चुकी है।
- सरकार ने इस अंतरिम बजट में वेतनभोगी लोगों का ख्याल रखते हुए कई घोषणाएँ की हैं जिनके अनुसार अब 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- सरकार ने भ्रष्टाचार रोकथाम पर कार्य करते हुए इस दिशा में जहाँ प्रशासनिक सक्रियता दिखाई है, वहीं वैधानिक कार्यवाही के तहत कई अधिनियम लेकर आयी है, उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लाया गया रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) और बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में काफी कारगार साबित हुई है।
- गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का भी गठन करने की सरकारी योजना है ताकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी संचार में प्रगति हो सके। ■

वर्टिकल फार्मिंग : एक वैकल्पिक कृषि

प्र. वर्टिकल फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि अगामी वर्षों में यह खाद्य आपूर्ति को और अधिक सुरक्षित बना सकेगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वर्टिकल फार्मिंग तकनीक क्या है
- भारत में वर्टिकल फार्मिंग की स्थिति
- वर्टिकल फार्मिंग के फायदे
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में वेरिफाइड मार्केट रिसर्च (Verified Market Research) ने इस बात पर चिंता जतायी है कि भविष्य में आबादी का एक बड़ा भाग शहरों में रहने लगेगा जिससे खाद्य जरूरतों को पारंपरिक तरीकों से पूरा करना मुश्किल होगा। 'वर्टिकल फार्मिंग मार्केट साइज 2025' नामक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग मार्केट का मूल्य 2017 में 2.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2025 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। ऐसे में वर्टिकल फार्मिंग ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

वर्टिकल फार्मिंग तकनीक क्या है

- वर्टिकल फार्मिंग को सामान्य भाषा में 'खड़ी खेती' कहते हैं। इसकी खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों पर की जाती है, जिस कारण इसे बहुमंजिली ग्रीनहाउस भी कहते हैं।
- इस बहुमंजिली इमारत पर नियंत्रित स्थितियों में फल-सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यह एक प्रकार की मल्टीलेवल प्रणाली है, जिसके तहत सर्वप्रथम कमरों में एक बहुस्तरीय ढाँचा खड़ा किया जाता है। यह ढाँचा कमरे की ऊँचाई के बराबर भी हो सकता है। वर्टिकल ढाँचे के निचले खाने में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता है। टैंक के ऊपरी खानों में पौधों के छोटे-छोटे गमले रखे जाते हैं।
- इन विभिन्न खानों (रैकों) को हाइड्रोपोनिक सिस्टम (Hydroponic System) के जरिये पोषक तत्त्व पहुँचाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के स्थान पर खनिजयुक्त घोल का प्रयोग होता है। वही पंप के जरिये इन तक काफी कम मात्रा में पानी पहुँचाया जाता है।

भारत में वर्टिकल फार्मिंग की स्थिति

- भारत में आबादी बढ़ने के साथ कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए हमारे देश में भी वर्टिकल फार्मिंग पर विभिन्न शोध किए जा रहे हैं ताकि आबादी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। इसी कड़ी में जयपुर ने वर्टिकल फार्मिंग का सफल प्रयोग किया है।
- विदित हो कि जयपुर स्थित एक विश्वविद्यालय में पिछले एक साल से वर्टिकल फार्मिंग पर रिसर्च की जा रही थी जिसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। इस शोध ने साबित किया है कि अब आम लोग अपनी छतों पर भी अपने उपयोग लायक सब्जियाँ उगा सकेंगे।
- खास बात यह है कि इस फार्मिंग में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता यानी उत्पादन पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। वर्तमान में टमाटर, मिर्च, फूलगोभी, ब्रोकली, चीनी कैबेज, पोकचाई, बेसिल, टेड कैबेज का उत्पादन इस तकनीक द्वारा किया गया है।

वर्टिकल फार्मिंग के फायदे

- वर्टिकल फार्मिंग काफी हद तक खाद्य संकट को खत्म कर सकता है क्योंकि इसमें अनाज और सब्जियाँ शहरों में इमारतों के ऊपर ही पैदा की जाती हैं।
- वर्टिकल फार्मिंग में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम संबंधी समस्याओं से संरक्षण प्राप्त होता है, साथ ही फसल नष्ट होने या खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है।
- परम्परागत खेती में जहाँ कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, वहीं वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद की कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इससे उत्पादित आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, जिसका उत्पादन सालभर किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- परागण एक अन्य चुनौती है, विशेष रूप से क्रॉस पॉलिनेटड फसलों के मामले में। इनडोर फार्म में परागण कीट नहीं होते हैं, इसलिए परागण हाथ से करना होता है। इसमें काफी लागत आती है और समय भी खर्च होता है।
- बहुत-से उद्यमी वर्टिकल फार्मिंग इकाइयों में मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद और मोम, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसे महँगे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है, लेकिन यह सरल कार्य नहीं है।
- भारत में वर्टिकल फार्मिंग के अधिकतर क्षेत्रों में प्रसार न हो पाने के मुख्य वजहों में से एक शोध एवं विकास का अभाव भी है। उल्लेखनीय है कि वर्टिकल खेती की तकनीक को बेहतर बनाने और लागत कम करने के लिए शायद ही कोई संस्थागत शोध चल रहा है।

आगे की राह

- वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती भारत में अभी पूर्णतः नया है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहां उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरूआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया। इन शहरों में बहुत-से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स जैसे जानी-मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शोध एवं विकास केंद्र स्थापित करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि वर्टिकल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे इस कृषि प्रणाली के आर्थिक, पर्यावरण और अन्य लाभ हासिल किए जा सकेंगे। कृषि उपज की बड़ी मात्रा को शहरों में भेजने से यातायात जाम और वाहन प्रदूषण समेत जटिल समस्याएँ पैदा हो रही हैं। इसके अलावा इन उपजों को भेजने में भारी मालभाड़ा की लागत आती है। इसके मद्देनजर शहरों को अपनी जरूरत के एक हिस्से की आपूर्ति स्थानीय उत्पादन से करनी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान हालातों को देखते हुए सरकार को वर्टिकल कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाना चाहिए। ■

यमुना नदी : मृतप्राय जीवनदायिनी

प्र. "स्वच्छ गंगा का लक्ष्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता, जब तक यमुना तथा उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ नहीं कर लिया जाता" उपरोक्त कथन के संदर्भ में यमुना नदी के प्रदूषण को समझाते हुए उसके निवारण के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- यमुना नदी में प्रदूषण के कारण
- प्रभाव
- सरकारी प्रयास
- अन्य परियोजनाएँ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार से जवाब माँगा है। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को 10-10 करोड़ रुपये का हर्जाना भरने के लिए कहा है इसके लिए एनजीटी ने तीनों राज्यों को एक महीने का वक्त दिया है।

परिचय

- यमुना नदी का उद्गम स्रोत बन्दरपूँछ रेंज के पश्चिमी ढलान पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज (इलाहाबाद) में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लम्बाई 1376 किलोमीटर है। यह भारत के सात राज्यों से गुजरती है। हिमालय पर्वत में उत्तर की ओर इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह लघु हिमालय की पहाड़ियों को काटकर आगे बढ़ती है, जहाँ पश्चिम की ओर इसमें गिरि और पूर्व की ओर आसन नदियाँ आकर मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन इत्यादि नदियाँ यमुना के दायें तट की प्रमुख सहायक नदियाँ है।

यमुना नदी में प्रदूषण के कारण

- प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में मवेशियों की धुलाई, घरेलू या औद्योगिक अनौपचारिक अपशिष्ट तथा धार्मिक गतिविधियाँ जैसे-मूर्तियों का विसर्जन आदि शामिल हैं।
- दिल्ली मेट्रो ने भी इस नदी को दूषित करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने नदी में लगभग 50,000 मीट्रिक टन से अधिक मलबा डाला है। इस बात को 'डीएमआरसी' ने भी स्वीकार किया है कि यमुना में पश्चिमी तट पर (सराय काले खाँ के पास) लगभग 10 मीट्रिक टन मलबा डाला गया है।
- दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण यमुना के जल का भारी मात्रा में दोहन भी प्रदूषण का मुख्य कारण है।

प्रभाव

- दिल्ली में यमुना नदी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य है जिसके कारण यह किसी भी जलीय जीव के लिए खतरनाक है।
- यमुना नदी में डम्प किए गये जैविक अपशिष्ट से शैवालों की उत्पत्ति (जिसे यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है) का कारण होता है। शैवालों की उत्पत्ति नदी जल में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है।
- यमुना नदी में पिछले 20 वर्षों में आर्सेनिक का स्तर लगभग 20 गुना बढ़ गया है। ज्ञातव्य है कि आर्सेनिक को 'स्लो प्वॉइजन' (Slow Poison) के नाम से जाना जाता है। इससे कैंसर और त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि आर्सेनिक घुले जल का उपयोग करने वाले किसान इस तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं।

सरकारी प्रयास

- यमुना कार्य योजना (वाईएपी) देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यह भारत सरकार और जापान के बीच संचालित एक द्विपक्षीय परियोजना है। जापान की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापानी बैंक (जेबीआईसी) के तहत इस परियोजना को पूरा करने के लिए 17.7 अरब येन का वित्तीय अनुदान प्रदान किया है। इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय और भारत सरकार द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

अन्य परियोजनाएँ

- जून 2014 में दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के पानी के प्रदूषण के स्तरों की जाँच करने के लिए एक विस्तृत इंटरसेप्टर सीवर परियोजना शुरू की, ताकि सभी नालियों के पानी को यमुना नदी में डालने से पहले संशोधित किया जा सके।
- इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पानी निकालने की परियोजना 2031 तैयार की है, जिसके अनुसार उन स्थानों पर सीवरेज सिस्टम बिछाए जाने की योजना है। यह परियोजना, दिल्ली की तीन प्रमुख नालियों: सप्लीमेंट्री, शाहदरा और नजफगढ़ के साथ-साथ 59 किलोमीटर लंबी इंटरसेप्टर सीवर स्थापित करेगी, जो लगभग 190 सहायक लघु नालियों के मैले पानी को संशोधित करेंगे और इसको निकटतम मैला उपचार संयंत्र (एसटीपी) में ले जाएंगे।

चुनौतियाँ

- दिल्ली एनसीआर में बढ़ता औद्योगिकीकरण।
- जनसंख्या का बढ़ता दबाव।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की कमी, साथ ही जो मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट हैं, उनकी स्थिति दयनीय है।
- शहरों में मुक्त अपशिष्ट पदार्थों के रिसाइकिल के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ।
- तकनीकी रूप से पिछड़ापन।

आगे की राह

- यमुना नदी के पानी का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- अत्यधिक मैले और गंदे पानी के उपचार संयंत्र स्थापित करने और अपशिष्ट जल के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।
- सिंचाई के लिए यमुना नदी से उपयोग किए जा रहे जल की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने से इस नदी की पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो रही है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. राजीव गांधी करियर पोर्टल

हाल ही में राजस्थान सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिसमें कोर्स, रोजगार, स्कॉलरशिप आदि की जानकारी होगी।

इस पोर्टल की मदद से नौवीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को खास मदद मिलेगी। सरकार ने इस पोर्टल को 'राजीव गांधी कॅरियर पोर्टल' नाम दिया है, जो अपनी तरह का पहला पोर्टल है। इसके जरिये स्टूडेंट्स को करियर के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही इस पोर्टल में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों और रोजगार कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। 'राजीव गांधी करियर पोर्टल' के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी 200 से अधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा 237 से अधिक पेशेवर करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पोर्टल से 455 से अधिक रोजगार क्षेत्रों, देश के प्रमुख 10 हजार कॉलेजों, 960 छात्रवृत्तियों और 955 से अधिक प्रवेश परीक्षाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

उद्देश्य

राज्य सरकार विद्यालयों में नवाचारों के जरिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विद्यालय बेहतरीन शिक्षा के केन्द्र बनने के साथ ही विद्यार्थियों तक सूचना कराने में सक्षम हो। इस दिशा में 'करियर पोर्टल' की शुरूआत एक महती पहल होगी। ■

2. राष्ट्रीय कामधेनु आयोग

हाल ही में गोवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन से देश में गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्द्धन के साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्वदेशी गायों का संरक्षण भी शामिल है।

संसद में पेश 2019-20 के अंतरिम बजट में इस आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था। इसका उद्देश्य देश में गोवंश के विकास एवं संरक्षण के लिए नीतिगत व्यवस्था एवं दिशा प्रस्तुत करना है। आयोग यह भी देखेगा कि देश में गो-कल्याण के लिए नियमों और कानूनों का किस तरह से समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये कर दिया है।

प्रमुख तथ्य

- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में स्वदेशी गाय सहित गायों को संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप देश में पशुधन क्षेत्र का तीव्र विकास होगा, जिसका लाभ विशेष रूप से महिलाओं और छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन, पालन, जैविक खाद और बायोगैस आदि के क्षेत्र में कार्यरत केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों और संगठनों तथा पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालियों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से देश में गाय के संरक्षण हेतु नीतिगत ढाँचा और दिशा मिलेगी और इससे गायों के कल्याण के लिए कानूनों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

■

3. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019 को पेश किये जाने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली (हरियाणा) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर (तमिलनाडु) को 'राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान' का दर्जा देना है।

लाभ

इस विधान से इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने, अपने शैक्षिक क्रियाकलापों में अनुसंधान की गतिविधियाँ और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए संचालनात्मक स्वायत्तता मिलेगी। इससे ये विश्वस्तरीय संस्थान बन सकेंगे। ये संस्थान सरकार की आरक्षण नीति लागू करेंगे और संबंधित हितधारकों के लाभ के लिए विशेष गतिविधियाँ भी चलायेंगे। इसके बल पर ये संस्थान विश्वस्तरीय शिक्षण प्रदान करने और नवाचारों के इस्तेमाल से अनुसंधान का अनुभव प्रदान करने में समर्थ होंगे।

■

4. भारत का संचार उपग्रह जीसैट-31

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने फ्रेंच गुएना के अंतरिक्ष केंद्र से अपने 40वें संचार उपग्रह जीसैट-31 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार इस उपग्रह की आयु 15 वर्ष है। यह कक्षा के अंदर मौजूद कुछ उपग्रहों पर संचालन संबंधी सेवाओं को जारी रखने में मदद करेगा और जियोस्टेशनरी कक्षा में केयू-बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता बढ़ायेगा। यह उपग्रह 2,535 किलोग्राम वजनी है जिसे फ्रेंच गुएना के कुरू से रॉकेट एरिएन-5 (वीए247) के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है।

जीसैट-31 संचार उपग्रह के लाभ

- अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मुताबिक, उपग्रह जीसैट-31 को इसरो के परिष्कृत आई-2 के बेस पर स्थापित किया गया है।
- यह इसरो के पूर्ववर्ती इनसैट/जीसैट उपग्रह श्रेणी के उपग्रहों का उन्नत रूप है।
- यह उपग्रह भारतीय भू-भाग और द्वीप को कवरेज प्रदान करेगा।
- जीसैट-31 का इस्तेमाल सहायक वीसैट नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल उपग्रह समाचार जुटाने, डीटीएच टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर बैक हॉल संपर्क और इस तरह के कई कार्यों में किया जायेगा।
- यह उपग्रह अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोंडर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिये विस्तृत बीम कवरेज प्रदान करेगा।

संचार उपग्रह

दूरसंचार के प्रयोजनों के लिए संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। आधुनिक संचार उपग्रह भू-स्थिर कक्ष, दीर्घवृत्ताकार कक्ष और पृथ्वी के निचले (ध्रुवीय और गैर-ध्रुवीय) कक्ष सहित विभिन्न प्रकार के परिक्रमा-पथों का उपयोग करते हैं। निश्चित सेवाओं के लिए संचार उपग्रह माइक्रोवेव रेडियो प्रसारण तकनीक उपलब्ध कराते हैं। उनका इस्तेमाल मोबाइल अनुप्रयोगों जैसे जहाज, वाहनों, विमानों और हस्तचालित टर्मिनलों तथा टी.वी. और रेडियो प्रसारण के लिए होता है, जहाँ केबल जैसे अन्य प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग अव्यावहारिक या असंभव है।

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) प्रणाली, भूस्थिर कक्षा में स्थापित नौ प्रचलनात्मक संचार उपग्रहों सहित एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रहों में से एक है। इनसैट-1बी से शुरूआत करते हुए इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति की शुरूआत की तथा बाद में भी इसे बरकरार रखा। वर्तमान में प्रचलनात्मक संचार उपग्रह है- इनसैट-3ए, इनसैट-3सी, इनसैट-3ई, इनसैट-4ए, इनसैट-4सीआर, जीसैट-8 जीसैट-10 तथा जीसैट-12 आदि।

■

5. आयकर लोकपाल, अप्रत्यक्ष कर लोकपाल के उन्मूलन को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर लोकपाल और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल के उन्मूलन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह अनुमोदन जनता द्वारा चुनी गई वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के मद्देनजर किया जाता है।

लोकपाल की संस्था शिकायत निवारण के नियमित मौजूदा समानांतर चैनलों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित नहीं हो सकती है। इसीलिए आयकर लोकपाल के साथ-साथ अप्रत्यक्ष कर लोकपाल भी समाप्त कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

आयकर से संबंधित जनता की शिकायतों से निपटने के लिए वर्ष 2003 में आयकर लोकपाल संस्थान का निर्माण किया गया था। हालांकि लोकपाल संस्थान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। यह देखा गया कि शिकायतों की संख्या एकल अंकों तक गिर गई है। इसके अलावा, करदाताओं ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, आयकर सेवा केंद्र आदि जैसे शिकायत निवारण के वैकल्पिक तरीकों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। इसी तरह साल 2011 में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल के खाली कार्यालयों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया था।

■

6. एग्री-मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने ग्रामीण कृषि बाजारों एवं व्यवस्थित थोक बाजारों में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिल कर बनाए जाने वाले कृषि-बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ) के लिये 2000 करोड़ रुपये की अनुमति प्रदान कर दी है ।

कृषि-बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ) प्रदेशों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को 585 कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) एवं 10,000 ग्रामीण कृषि बाजारों में विपणन की ढाँचागत व्यवस्था विकसित करने के लिये उनके प्रस्ताव पर वित्तीय छूट प्राप्त ऋण मुहैया कराएगा। राज्य हब एवं स्पोक प्रणाली एवं पीपीपी प्रणाली समेत उन्नत एकीकृत बाजार अवसंरचना परियोजनाओं के लिये कृषि-बाजार अवसंरचना

कोष (एएमआईएफ) से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग कर भौतिक एवं आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा।

अनुमति प्राप्त होने के बाद कृषि-बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ) योजना को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडबल्यू) द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 2018-19 एवं 2019-20 के साथ-साथ 2024-25 के दौरान जारी वार्षिक बजट के अनुरूप ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के मांग आधारित होने से इसकी प्रगति राज्यों की मांग एवं उनसे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का विषय होगी। ■

7. भारतीय वायुसेना में शामिल हुए चिनूक हेलीकॉप्टर

हाल ही में अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोईंग ने भारतीय वायुसेना के लिए चार चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति की है। भारत को कुल 15 और चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। भारत के लिए रणनीतिक नजरिये से चिनूक हेलीकॉप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनके आने से एयरफोर्स की क्षमता और बढ़ जाएगी। यह हेलीकॉप्टर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सेना तक आवश्यक माल पहुँचाने में मददगार साबित होगा।

गौरतलब है कि भारत ने बोईंग के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया को सितम्बर 2015 में अंतिम रूप दिया था।

चिनूक हेलीकॉप्टर की विशेषताएँ

- चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का विशेष हेलीकॉप्टर है। इसी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी सेना ने लादेन को मार गिराया था।
- वियतनाम और इराक के युद्धों में इसे शामिल किया गया था। यह दो रोटर वाला हैवीलिफ्ट हेलीकॉप्टर है।
- चिनूक बहुउद्देशीय, वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन को ढोने में किया जाता है।
- इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है।

राहत सामग्री पहुँचाने और बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

- यह 9.6 टन वजन उठा सकता है, जिसमें भारी मशीनरी, तोप और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल हैं।
- जहाँ अपाचे को दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू हेलिकॉप्टर में गिना जाता है, वहीं, चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत ऊँचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है।
- भारत अपाचे का इस्तेमाल करने वाला 14वाँ और चिनूक का इस्तेमाल करने वाला 19वाँ देश होगा।

भारत के लिए महत्त्व

भारतीय वायुसेना के नजरिये से देखें तो रणनीतिक दृष्टि से यह काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत के पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की ओर से जिस प्रकार का माहौल बनता है उसमें चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण की सामाग्री आसानी से पहुँचायी जा सकती है, जिससे भारतीय सीमाओं पर ढाँचागत विकास में तेजी आएगी। साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर सैन्य दृष्टि से काफी उत्तम माने जा रहे हैं।

■

अंतर्राष्ट्रीय

1. विश्व दलहन दिवस 2019

10 फरवरी, 2019 को पहला विश्व दलहन दिवस मनाया गया। वर्ष 2016 को दलहन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया ताकि दलहन के सतत खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा और पोषण की दिशा में योगदान को उजागर किया जा सके।

पृष्ठभूमि

10 नवंबर, 2015 को 'एक टिकाऊ भविष्य हेतु पौष्टिक बीज' (Nutritious Seeds for a Sustainable Future) नारे (Slogan) के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, 2016' का शुभारंभ किया था।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) को सरकारों, संबंधित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य सभी प्रासंगिक हितधारकों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के कार्यान्वयन की सुविधा हेतु नामित किया गया है।

दलहनी फसलें क्या होती हैं?

दलहनी फसलें लेग्यूमेनेसी कुल की फसलें हैं। लेग्यूमेनेसी कुल की फसलों की विशेषता होती है कि उनकी फसलों की जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तथा इन ग्रंथों में राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्तरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति करता है और इस प्रकार से मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। परंतु अन्य फसलें मिट्टी की उर्वरता को घटा देती हैं। यही कारण है कि दलहनी फसलों को यूरिया और नाइट्रेट के छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ती है। दलहनी फसलों को फसल-चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फसल-चक्र का उद्देश्य मिट्टी की खोए हुए पोषक मानक को वापस करना है। किसी खाद्यान्न को काटने के पश्चात वह मिट्टी के पोषक तत्त्वों को अवशोषित कर लेती है जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है तथा इसके पश्चात दलहनी फसलों को रोकने पर पुनः मिट्टी की उर्वरता प्राप्त हो जाती है ताकि अगली खाद्यान्न फसल के लिए मिट्टी में पोषक मान बना रहे।

प्रमुख दलहनी फसलें

- अरहर, चना, मटर, मसूर - रबी
- सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया - खरीफ
- सोयाबीन, मूंग, उड़द - जायद ऋतु में भी
- अतः दालों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। ■

2. जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकती है भयंकर तूफान आने की दर

- हाल ही में नासा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय महासागरों का तापमान बढ़ने से सदी के अंत में बारिश के साथ भयंकर तूफान आने की दर बढ़ सकती है।
- अमेरिका में नासा के 'जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी' (जेपीएल) के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया। गर्म वातावरण में गंभीर तूफान बढ़ जाते हैं। भारी बारिश के साथ तूफान आमतौर पर साल के सबसे गर्म मौसम में ही आते हैं।

अध्ययन से संबंधित मुख्य तथ्यः

- इसमें औसत समुद्री सतह के तापमान और गंभीर तूफानों की शुरूआत के बीच संबंध ों को निर्धारित करने के लिए उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर अंतरिक्ष एजेंसी के वायुमंडलीय इन्फ्रारेड साउंडर (एआईआरएस) के उपकरण द्वारा अधिग्रहित 15 वर्षों के आँकड़ों का अध्ययन किया गया।
- अध्ययन में पाया गया कि समुद्र की सतह का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर गंभीर तूफान आते हैं।
- 'जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स' में प्रकाशित अध्ययन में यह भी पाया गया कि समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के कारण हर एक डिग्री सेल्सियस पर 21 प्रतिशत अधिक तूफान आते हैं।

नासा के बारे में:

नासा (National Aeronautics and Space Administration) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य 'भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना' है। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई, 1948 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था। इस संस्था ने 01 अक्टूबर, 1948 से कार्य करना शुरू किया, तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनमें अपोलो चन्द्रमा अभियान, स्कायलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल हैं। ■

3. उत्तरी मैसेडोनिया नाटो में शामिल होगा

उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वाँ सदस्य बनने जा रहा है। नाटो के 29 सदस्यों द्वारा किसी नए सदस्य के शामिल होने के प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के बाद वह विधिवत इसका सदस्य बन जाएगा। कुछ समय पहले मैसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रख लिया है। इससे मैसेडोनिया और ग्रीस का लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाम रखे जाने पर यूरोपियन यूनियन,

संयुक्त राष्ट्र, यूनान एवं अन्य वैश्विक शक्तियों ने मैसेडोनिया के इस कदम का स्वागत किया था।

नाटो

नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization) है, जिसमें कुल 29 देश शामिल हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को हुई थी। यह एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसे उत्तर अटलांटिक एलायंस भी कहा जाता है।

इनमें सबसे नए देश जो शामिल हुए हैं, उनका नाम अल्बानिया और क्रोएशिया हैं। ये सन 2009 में नाटो से जुड़े थे। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है। नाटो एक संधि के आधार पर बना एक सैन्य संगठन है। इसके सदस्य देशों के मध्य एक ऐसी रक्षा प्रणाली और संगठन का गठन किया गया है जिसमें किसी भी सदस्य देश के ऊपर बाहरी हमले की स्थिति में नाटो किसी भी बाहरी पार्टी के हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। नाटो का मिशन अपने सदस्यों की आजादी की रक्षा करना है। ■

4. ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया

हाल ही में ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति की वर्षगाँठ के अवसर पर 1,350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाले नये क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 2015 में 700 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता के साथ विकसित सुमार श्रेणी के क्रूज मिसाइलों का हिस्सा है। तेहरान में 'रक्षा उपलब्धियों के 40 साल' शीर्षक के तहत आयोजित रक्षा प्रदर्शनी के दौरान होविज मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया था। ईरान ने स्वैच्छिक रूप से अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर तक नियंत्रित की हुई है। इसके बावजूद उसकी मिसाइलें इजराइल और मध्य एशिया में बने पश्चिमी देशों के सैन्य अड्डों तक पहुँच सकती हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है जिससे वैश्विक जगत को खतरा महसूस हो रहा है।

ईरान की इस्लामी क्रांति

ईरान की इस्लामी क्रांति की शुरूआत सही मायनों में 1963 में हुई थी। इसकी वजह ईरान के तत्कालीन शाह, मोहम्मद रजा शाह पहलवी द्वारा किया गया, श्वेत क्रांति का ऐलान था। ये ऐसे आर्थिक और सामाजिक सुधार थे, जो ईरान के परंपरागत समाज को पश्चिमी मूल्यों की तरफ ले जाते थे। यही वजह थी कि इनका विरोध शुरू हो गया था। इस क्रांति के पीछे उस वक्त फ्रांस में निर्वासित जीवन जी रहे अयातुल्लाह खमेनी थे, जो वहाँ रहकर ईरान में क्रांति को लेकर दिशा-निर्देश दे रहे थे। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में भारी गिरावट आई। इससे ईरान की आमदनी चरमरा गई। इसी दौरान मौलवियों के एक धड़े ने श्वेत क्रांति को गैर-इस्लामिक करार दिया था। सितंबर 1978 में ईरान में मोहम्मद रजा शाह पहलवी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे। इसका नेतृत्व धीरे-धीरे उन मौलवियों के हाथों में जा रहा था, जिन्हें अयातुल्लाह खमेनी निर्देश दे रहे थे। लोगों में मोहम्मद रजा शाह की नीतियों के प्रति जबरदस्त आक्रोश था। शाह ने आक्रोश को शांत करने के बजाए प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनवरी 1979 तक ईरान में हालात बिल्कुल गृह-युद्ध जैसे हो गए थे। लोग लगातार अयातुल्लाह खमेनी की वापसी की मांग कर रहे थे। देश के हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि शाह उनसे घबराकर परिवार समेत ईरान से भाग खड़े हुए। लेकिन जाते-जाते वह विपक्षी नेता शापोर बख्तियार को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर गए। बख्तियार ने खमेनी के ईरान वापसी को लेकर शर्त रखी कि वह देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उनकी शर्त पर अमल की बदौलत खमेनी 14 साल बाद अपने वतन लौटे। 12 फरवरी, 1979 को खमेनी जब स्वदेश पहुँचे तो उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद एक रैली में खमेनी ने तत्काल अपने पक्ष में माहौल को देखते हुए सरकार के गठन करने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने लोगों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की अपील की। 16 फरवरी को उन्होंने मेहदी बाजारगान को अंतरिम सरकार का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इस वक्त ईरान में दो प्रधानमंत्री थे। एक बख्तियार और दूसरे बाजारगान। बाजारगान के पीछे खमेनी के साथ साथ बड़ा जन समर्थन था। धीरे-धीरे खमेनी ने प्रदर्शन को धार्मिक रंग दे दिया। इसके बाद अप्रैल 1979 में एक जनमत संग्रह के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान किया गया। ■

5. अबू धाबी में अदालत की तीसरी आधिकारिक भाषा बनी हिंदी

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में न्यायालय में इस्तेमाल के लिए अंग्रेजी और अरबी के बाद हिंदी तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में सीखने में मदद करना है।
- आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात की 90 लाख की आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा विदेशों के प्रवासी लोग हैं।
- हिंदी भाषियों को अबू धाबी न्यायिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- द्विभाषी कानूनी व्यवस्था का पहला चरण नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत सिविल और वाणिज्यिक मामलों में अगर वादी विदेशी हो तो अभियोगी केस के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है।

कुल आबादी का 30 फीसदी हिस्सा भारतीय

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है जो उस देश की कुल आबादी का 30 फीसदी है। यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। एडीजेडी के अवर सचिव युसूफ सईद अल अब्री ने कहा कि दावा शीट, शिकायतों और अनुरोधों के लिए बहुभाषा लागू करने का मकसद

प्लान 2021 की तर्ज पर न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा देना और मुकदमे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।

अन्य देशों में हिंदी का इस्तेमाल

फिजी में सरकारी कामकाज के लिए चार भाषाओं का उपयोग किया जाता है, उनमें हिंदी का नाम भी शामिल है. फिजी में भारतीयों की संख्या करीब 3 लाख से अधिक है और यह आँकड़ा देश की कुल आबादी का 33 फीसदी है। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है। हालाँकि, यह भाषा यहाँ के सरकारी कामकाज के लिए उपयोग नहीं की जाती है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और जापान समेत विश्व के 40 देशों के 600 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है।

प्रति वर्ष विश्व भर में 'हिंदी दिवस' 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा जिसे ना सिर्फ इसे जानने वाले पसंद करते हैं बल्कि विदेशी भी इस भाषा से खासा लगाव रखते हैं। हिंदी भाषा को ऐसी कड़ी माना जाता है जो भारत को किसी भी देश के साथ आसानी से जोड़ने का काम करती है। गौरतलब है कि 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ■

6. माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स

ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, माइक्रोसॉफ्ट ने सेफर इंटरनेट डे (05 फरवरी) पर तीसरा डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स जारी किया है। सूचकांक से पता चलता है कि भारत सहित दुनिया भर के लोगों में ऑनलाइन सिविलिटी के स्तर में बढ़ोतरी का अनुभव कर रहे हैं। इसे लेकर दुनिया भर के 22 देशों में हुए सर्वेक्षण से पता चलता है कि इसमें भारत 7वें स्थान पर है। डीसीआई 22 देशों में किशोरावस्था (13-17 वर्ष) और वयस्कों (18-74 वर्ष) के दृष्टिकोण और धारणाओं को समझने के लिए मई 2018 में ऑनलाइन व्यवहार और बातचीत के आधार पर पूरा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इस दौरान पूछे गए प्रश्नो में, आपको कौन से ऑनलाइन जोखिमों का सामना करना पड़ा है, आपको कब और कितनी बार जोखिम का सामना करना पड़ा है और इसके परिणाम कैसे रहे आदि शामिल थे। इसका 21 ऑनलाइन जोखिम व्यवहार, प्रतिष्ठा, यौन और व्यक्तिगत घुसपैठ के आधार पर मिले जवाब के जरिये आकलन किया गया।

सर्वेक्षण से पता चला कि भौगोलिक और जनसांख्यिकी के बीच अवांछित संपर्क का जोखिम निरंतर बना हुआ है। हालाँकि, दुनिया भर के किशोर अब ऑनलाइन जोखिम के लिए अपने माता-पिता और अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की मदद ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कई अंतर्दृष्टि का खुलासा किया गया है, जिसमें-

- आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री प्राप्त करना, नकली समाचारों का सामना करना और इंटरनेट के झाँसे में आना सहित अन्य शामिल हैं।
- ऑनलाइन जोखिम का प्रभाव किशोरों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है।
- सर्वे में शामिल लोगों ने दूसरों पर भरोसा करने के मामले में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में विश्वास में कमी में बढ़ोतरी दिखाई। नकारात्मक ऑनलाइन इंटरैक्शन के परिणामस्वरूप तनाव और नींद न आने की परेशानी सामने आई।
- भारतीयों को फर्जी समाचार और इंटरनेट के झाँसे में आने की संभावना वैश्विक औसत से 7 अंक अधिक थी। ■

7. ग्लोबल वार्मिंग से बदल रहा है समुद्रों का रंग

हाल ही में अमेरिका की मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा किये गये अध्ययन तथा विश्व आर्थिक फोरम (WEF) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व भर में समुद्रों का रंग बदल रहा है। इस अध्ययन के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण 21वीं सदी के अंत तक दुनिया के 50 प्रतिशत से अधिक समुद्रों का रंग बदल जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार उपोष्ण कटिबंधीय (Subtropics) जैसे इलाकों में पड़ने वाले समुद्रों का रंग 'गहरा नीला' और ध्रुवीय समुद्रों का रंग 'गहरा हरा' हो जाएगा। हालाँकि, इन बदलावों को नग्न आँखों से देखना बहुत मुश्किल होगा। हाल ही में यह रिपोर्ट 'नेचर' पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है।

रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

- एमआईटी द्वारा किये गये शोध के अनुसार पानी का रंग हरा होना उसकी सतह पर उगे पादक प्लवक होते हैं।
- ध्रुवीय समुद्र का तापमान बढ़ने से इनकी मात्रा गहराई तक बढ़ सकती है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे इनकी तादाद में बढ़ोतरी होगी।
- इसी प्रकार समुद्र का पानी नीला होने का मतलब है पादक प्लवक की संख्या में कमी।
- पादक प्लवक सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्री जीवों के भोजन का काम करते हैं। इनकी संख्या कार्बन डाईऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पानी में मौजूद पोषक तत्त्वों के आधार पर बढ़ती है, जिसमें भारी कमी देखी गई है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की अम्लता का सीधा असर पादक प्लवक पर पड़ेगा। इनकी ग्रोथ में कमी होने पर समुद्री जीवों के लिए भोजन का संकट पैदा होगा।
- जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में मौजूद छोटी शैवालों को कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करना मुश्किल हो रहा है।
- यदि यही स्थिति बनी रही तो समुद्र में जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा। इनके न रहने पर कार्बन वापस समुद्र से वातावरण में चला जाएगा और इससे कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न होंगी।
- साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि समुद्री पानी के तापमान में बढ़ोतरी होने से शार्क अपना रास्ता भटक रही हैं। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

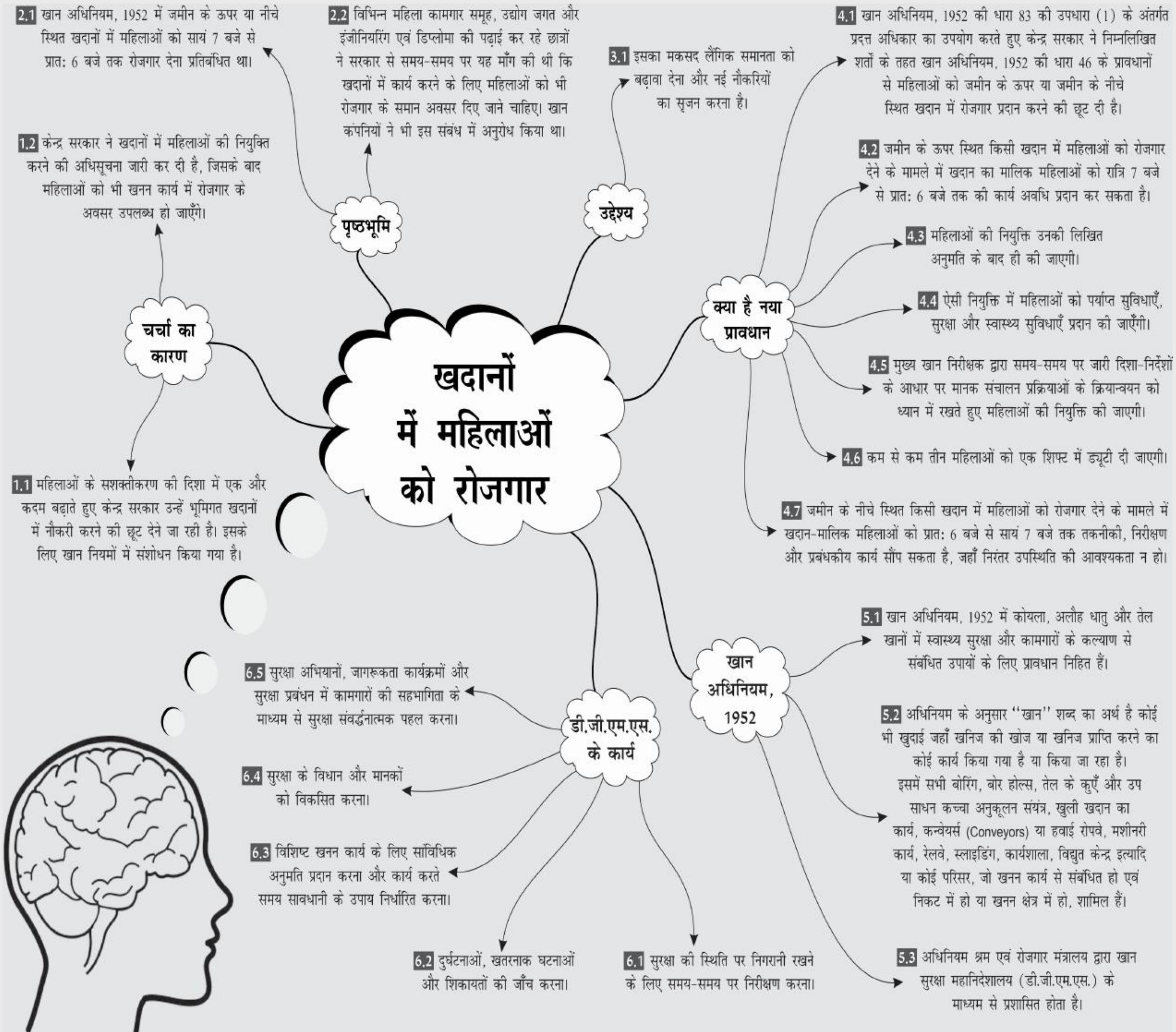
खदानों में महिलाओं को रोजगार
चर्चा का कारण
1.1 महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केन्द्र सरकार उन्हें भूमिगत खदानों में नौकरी करने की छूट देने जा रही है। इसके लिए खान नियमों में संशोधन किया गया है।
1.2 केन्द्र सरकार ने खदानों में महिलाओं की नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद महिलाओं को भी खनन कार्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएँगे।
पृष्ठभूमि
2.1 खान अधिनियम, 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबंधित था।
2.2 विभिन्न महिला कामगार समूह, उद्योग जगत और इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने सरकार से समय-समय पर यह माँग की थी कि खदानों में कार्य करने के लिए महिलाओं को भी रोजगार के समान अवसर दिए जाने चाहिए। खान कंपनियों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया था।
उद्देश्य
3.1 इसका मकसद लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और नई नौकरियों का सृजन करना है।
क्या है नया प्रावधान
4.1 खान अधिनियम, 1952 की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के तहत खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोजगार प्रदान करने की छूट दी है।
4.2 जमीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है।
4.3 महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
4.4 ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएँ, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
4.5 मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
4.6 कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।
4.7 जमीन के नीचे स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में खदान-मालिक महिलाओं को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक तकनीकी, निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता है, जहाँ निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो।
खान अधिनियम, 1952
5.1 खान अधिनियम, 1952 में कोयला, अलौह धातु और तेल खानों में स्वास्थ्य सुरक्षा और कामगारों के कल्याण से संबंधित उपायों के लिए प्रावधान निहित हैं।
5.2 अधिनियम के अनुसार "खान" शब्द का अर्थ है कोई भी खुदाई जहाँ खनिज की खोज या खनिज प्राप्ति करने का कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है। इसमें सभी बोरिंग, बोर होल्स, तेल के कुएँ और उप साधन कच्चा अनुकूलन संयंत्र, खुली खदान का कार्य, कन्वेयर्स (Conveyors) या हवाई रोपवे, मशीनरी कार्य, रेलवे, स्लाइडिंग, कार्यशाला, विद्युत केन्द्र इत्यादि या कोई परिसर, जो खनन कार्य से संबंधित हो एवं निकट में हो या खनन क्षेत्र में हो, शामिल हैं।
5.3 अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) के माध्यम से प्रशासित होता है।
डी.जी.एम.एस. के कार्य
6.1 सुरक्षा की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करना।
6.2 दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और शिकायतों की जाँच करना।
6.3 विशिष्ट खनन कार्य के लिए सांविधिक अनुमति प्रदान करना और कार्य करते समय सावधानी के उपाय निर्धारित करना।
6.4 सुरक्षा के विधान और मानकों को विकसित करना।
6.5 सुरक्षा अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों और सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के माध्यम से सुरक्षा संवर्द्धनात्मक पहल करना।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर अध्ययन रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एस.के. बरुआ द्वारा तैयार की गयी अध्ययन रिपोर्ट को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास मंत्रालय को सौंपा गया।

1.2 अध्ययन रिपोर्ट का शीर्षक 'लाइटिंग अप लाइव्स थ्रु कुकिंग गैस एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसायटी' (Lighting up lives through cooking gas and transforming society) है और इसमें देश के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रमों में शामिल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफर पेश किया गया है।

अध्ययन के प्रमुख तथ्य

2.1 इस अध्ययन में दिखाया गया है कि किस तरह रसोई गैस ने गरीबों के जीवन को बदला और सामाजिक-आर्थिक समावेश के जरिये उन्हें शक्ति संपन्न बनाया।

2.2 अध्ययन रिपोर्ट में योजना के पूरे सफर के बारे में जानकारी दी गयी है और बताया गया है कि इस योजना की बदौलत पहली बार रसोई गैस का इस्तेमाल करने वालों को कितना लाभ हुआ।

2.3 अध्ययन रिपोर्ट के लेखक और उनके दल ने लाभार्थियों के साथ विस्तार से बातचीत की और यह ब्यौरा तैयार किया कि हाशिये पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए एलपीजी ने कितनी अहम भूमिका निभाई है।

2.4 अध्ययन रिपोर्ट को पंजीकृत कर लिया गया है और अब दुनिया भर के प्रबंधन संस्थानों में उसका उपयोग किया जा सकता है।

2.5 यह अध्ययन रिपोर्ट अब विश्व के सामने है और वह इस संबंध में भारत के अनुभवों से लाभ उठा सकता है। इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई देशों के लिए प्रेरणा के रूप में सामने आएगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

3.1 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी/LPG गैस) का कनेक्शन देती है।

3.2 इसे 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था।

3.3 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है।

3.4 भारत सरकार PMUY के माध्यम से हर बीपीएल परिवार को 1600 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह रकम LPG गैस कनेक्शन खरीदने के लिए होगी।

उद्देश्य

4.1 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है।

4.2 वर्तमान में हो रहे प्रदूषण को कम करना है। यह तभी संभव है जब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम से कम किया जाय।

4.3 इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है साथ ही उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है।

चुनौतियाँ

5.1 गरीब परिवारों को कनेक्शन लेने पर पहले रिफिल पर सब्सिडी और मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा है। लेकिन उसके बाद उसे अपने खर्च पर सिलेंडर खरीदना होता है। यही इस योजना की सबसे बड़ी खामी है।

5.2 इस योजना के तहत सब्सिडी की रकम मिलने में बैंक खातों की समस्या सामने आ रही है तो कहीं डीलर लोगों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं।

5.3 ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं, जहाँ लोग आर्थिक तंगी की वजह से साल-साल भर तक नया सिलेंडर नहीं भरवाते।

5.4 विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की यह योजना तो दुरुस्त थी, लेकिन लागू करने से पहले जमीनी स्तर पर कुछ व्यावहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर थोक के भाव में कनेक्शन तो बाँटे गए लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि लोग उसे जारी रखें और नियमित तौर पर उसका इस्तेमाल करें।

5.5 इस योजना के तहत कनेक्शन लेने के लिए घर की महिला सदस्य के नाम बैंक में खाता होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में अब भी भारी तादाद में महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं हैं। जिनके पास यह कार्ड है उनमें से भी बहुत-सी महिलाओं के नाम बैंक खाते में नहीं हैं। बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में रिफिल सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल सकती।

आगे की राह

6.1 सौर ऊर्जा भविष्य में प्राथमिक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत बन सकती है, इसलिए खाना पकाने के लिये LPG से सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होने के लिये नीतियों को बनाना चाहिये।

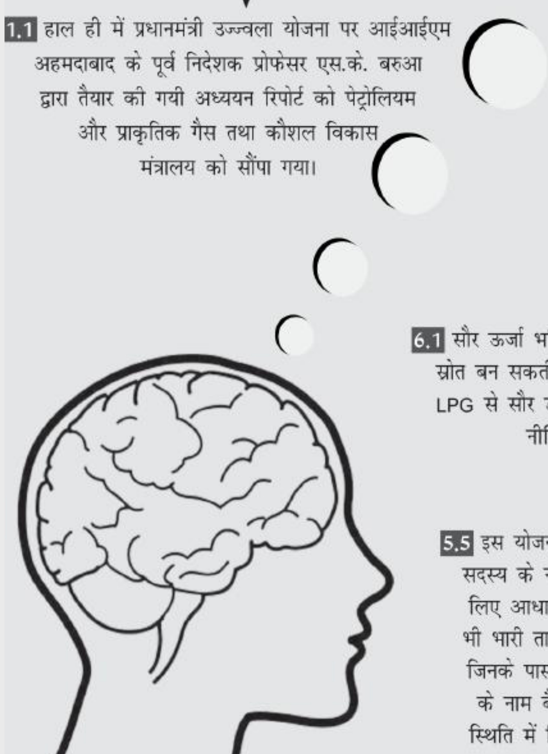

व्यापार युद्ध पर अंकटाड की रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने व्यापार युद्ध (Trade War) पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हो सकता है।

1.2 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए अध्ययन में यह कहा गया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से भारत के निर्यात में 3.5 फीसदी की तेजी आएगी।

पृष्ठभूमि

2.1 पिछले साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित इस्पात और एल्युमीनियम पर भारी शुल्क लगाया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने भी अरबों डॉलर के अमेरिकी आयात पर भारी शुल्क लगा दिया था।

2.2 अमेरिका का मानना है कि चीन विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने टैरिफ लगाए थे।

व्यापार युद्ध के सकारात्मक परिणाम

3.1 'द ट्रेड वार्स: द पेन एंड द गेन' शीर्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'द्विपक्षीय टैरिफ उन देशों में काम कर रही फर्मों के लाभ के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बदल देते हैं जो उनसे सीधे प्रभावित नहीं होते हैं।'

3.2 अमेरिका-चीन तनाव से उन देशों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, जो अधिक प्रतिस्पर्धी हैं और अमेरिकी तथा चीनी कंपनियों की जगह लेने की आर्थिक क्षमता रखते हैं।

3.3 इस विवाद से जिन देशों को फायदा होगा उनमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ का निर्यात इस विवाद से 70 अरब डॉलर बढ़ जाएगा।

3.4 जापान और कनाडा का निर्यात 20-20 अरब डॉलर बढ़ेगा। अध्ययन में कहा गया है कि इससे ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में 4.6 फीसदी, ब्राजील के निर्यात में 3.5 फीसदी, फिलिपीन्स के निर्यात में 3.2 फीसदी और वियतनाम के निर्यात में पाँच फीसदी का इजाफा होगा।

व्यापार युद्ध के नकारात्मक परिणाम

4.1 संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच 'जैसे को तैसा' के व्यापार विवाद से दोनों ही देशों के घरेलू उत्पादकों को किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। यदि इसे हल नहीं किया जाता है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होगा।

4.2 संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यदि अमेरिका और चीन एक मार्च तक अपने शुल्क विवाद को समाप्त करने का फैसला नहीं करते हैं, तो दोनों देशों के उत्पादों पर शुल्क की मौजूदा दर 10 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी पर पहुँच जायेगी

4.3 अगर इन देशों के बीच व्यापार युद्ध लंबा खिंचता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन देशों से अपना कारोबार समेट कर किसी दूसरे देश का रुख कर सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)

5.1 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना 30 दिसंबर, 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत महासभा के स्थायी अंग के रूप में हुई।

5.2 यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। यह एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा, (स्विट्जरलैंड) में है।

अंकटाड का उद्देश्य

6.1 अल्पविकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना।

6.2 व्यापार एवं विकास नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, व्यापार एवं विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र परिवार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा एवं संवर्द्धन करना।

6.3 सरकारों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की व्यापार तथा विकास नीतियों में सामंजस्य लाना है।

द हिन्दूकुश हिमालय असेसमेंट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये एक शोध पर आधारित रिपोर्ट 'द हिन्दूकुश हिमालय असेसमेंट' प्रकाशित की गई जिसमें हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की चेतावनी दी गई है।

1.2 रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस आशय की कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विशाल ग्लेशियर हिन्दूकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्र बनाते हैं जो विश्व की सबसे ऊँची चोटियों माउंट एवरेस्ट और K2 के इलाके में स्थित हैं। इसे अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र के बाद 'तीसरे ध्रुव' के तौर पर देखा जाता है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 यह रिपोर्ट काठमांडू के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इन नेपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि ग्लेशियर के पिघलने से वायु प्रदूषण और मौसम के प्रतिकूल होने का खतरा बढ़ सकता है।

2.2 यदि वैश्विक जलवायु प्रयास विफल होते हैं तो अध्ययन के अनुसार वर्तमान उत्सर्जन से तापमान में पाँच डिग्री की वृद्धि होगी और वर्ष 2100 तक क्षेत्र के दो तिहाई ग्लेशियरों को नुकसान होगा।

2.3 1970 के दशक से अब तक हिन्दूकुश हिमालय के 15 प्रतिशत से अधिक ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं।

2.4 हिन्दूकुश हिमालय असेसमेंट के अनुसार, यदि ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने वाली पेरिस संधि का लक्ष्य हासिल हो भी जाता है, तब भी एक तिहाई ग्लेशियर नहीं बच पाएंगे।

2.5 हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र में मौजूद ग्लेशियर इस क्षेत्र में रहने वाले 25 करोड़ लोगों के लिए पानी का स्रोत है। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जैसे मेकॉन्ग, सिंधु, गंगा आदि करीब 160 करोड़ लोगों की आजीविका का आधार हैं। किसान शुष्क मौसम में ग्लेशियर के पिघले पानी का इस्तेमाल कृषि आदि में करते हैं।

2.6 मानसून से पहले नदियों के प्रवाह से शहरी जलापूर्ति, खाद्य एवं ऊर्जा उत्पादन जैसी व्यवस्थाएँ प्रभावित होंगी।

हिन्दूकुश पर्वतमाला

3.1 हिन्दूकुश हिमालय लगभग 3500 किमी. के दायरे में फैला है और इसके अंतर्गत भारत समेत चीन, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार का क्षेत्र आता है।

3.2 हिन्दूकुश पर्वतमाला के बीचोंबीच सबसे ऊँचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में स्थित है, जिसे वर्तमान में तिरिच मीर पर्वत कहते हैं।

3.3 हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र में 500 से अधिक ग्लेशियर हैं।

3.4 हिन्दूकुश का दूसरा सबसे ऊँचा पहाड़ नोशक पर्वत और तीसरा इस्तोर-ओ-नल है।

3.5 हिन्दूकुश पर्वतमाला में ऐसे बहुत-से दर्रे हैं जिसके उस पार कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, मंगोलिया आदि जगह जा सकते हैं। यह हिमालय के उस पार से भारत में आने का आसान रास्ता है, जबकि तिब्बत के रास्ते सिक्किम होते हुए भारत आना थोड़ा कठिन है।

प्रभाव

4.1 नदियों में पानी बढ़ने और उसके प्रवाह में परिवर्तन से भी जल-विद्युत उत्पादन को नुकसान पहुँचा सकता है तथा पहाड़ों के खिसकने और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

4.2 मानसून के पैटर्न में बदलाव, तूफान की गंभीरता और आवृत्ति सहित, पहाड़ के खतरों को जन्म दे सकता है जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर सकते हैं।

4.3 इस क्षेत्र में लगभग 8,790 हिमनदों की झीलें मौजूद हैं। इनके पिघलने से बड़ा असर पड़ सकता है। हिन्दूकुश में हर साल औसतन 76 घटनाएँ होती हैं। हिन्दूकुश को एशिया का वाटर टावर माना जाता है, जो ग्लेशियरों से निकलने वाली 10 मुख्य नदियों के माध्यम से दो अरब से अधिक लोगों की जीवन रेखा है।

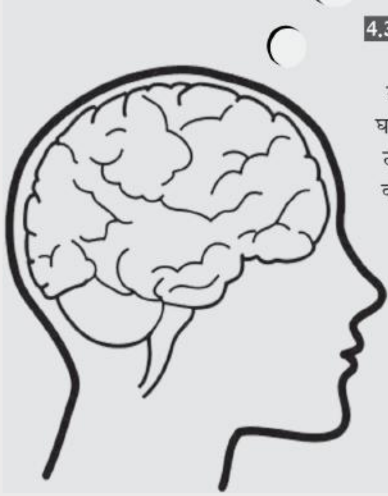

एनजीओ और उनके विदेशी चंदे

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में सरकार ने ग्रीनपीस नामक एनजीओ (NGO) को अपना क्षेत्रीय कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही सरकार ने कहा है कि ग्रीनपीस, भारत में अपने कर्मचारियों की छटनी करें।

पृष्ठभूमि

2.1 सितबंर 2015 में भारत सरकार ने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया था।

2.2 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रही गैर सरकारी संस्था ग्रीनपीस के बंगलुरू स्थित परिसर में छापेमारी की थी।

2.3 पिछले तीन साल के दौरान सरकार ने विदेशी चंदा (विनियमन) कानून एफसीआरए (FCRA) के उल्लंघन के आरोप में 4800 से अधिक चूककर्ता गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पंजीकरण रद्द कर दिये थे।

एनजीओ क्या है?

3.1 विश्व बैंक के अनुसार ऐसे निजी संगठन जो कुछ इस तरीके की गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिनसे किसी की परेशानी दूर होती हो, गरीबों के हित को बढ़ावा मिलता हो, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता हो, मूलभूत सामाजिक सेवाएँ मुहैया कराई जाती हों या विकास का जिम्मा उठाया जाता हो, गैर सरकारी संगठन या गैर-लाभकारी संगठन कहलाते हैं।

3.2 एनजीओ एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। इसे कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा संचालित किया जाता है।

3.3 भिन्न-भिन्न स्रोतों में ऐसी संस्थाओं को अलग-अलग नामों से जाना और समझा जाता है। कहीं पर इन्हें सिविल सोसायटी आर्गेनाइजेशन, कहीं पर निजी स्वैच्छिक संगठन, चैरिटी, नॉन प्रॉफिट चैरिटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं पर इन्हें थर्ड सेक्टर आर्गनाइजेशन जैसे अन्य नामों से पुकारा जाता है।

3.4 रजिस्टर्ड एनजीओ से समाजसेवी कार्य करने पर आप सरकार और अनुदानदाता संगठन से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। यदि कोई समाजसेवी संस्था आर्थिक सहायता न लेना चाहे तो वह सामाजिक कल्याण का कार्य बिना पंजीकरण किये भी कर सकता हैं।

उद्देश्य

4.1 इन संगठनों का एकमात्र मकसद सामाजिक सेवा भावना है, लाभ कमाना इनका मकसद नहीं होता।

4.2 बेरोजगार युवाओं को रोजगार आदि की जानकारी देना, सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक स्तर पर पिछड़े वर्ग की उन्नति, बेहतरी व विकास के लिए कार्य करना।

4.3 पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना।

क्या है एफसीआरए कानून?

5.1 सरकार को जब गुप्तचर ब्यूरो सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से एफसीआरए के उल्लंघन के बारे में जानकारी मिलती है तब आरोपित उल्लंघन कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई, आवश्यक जाँच और कथित अधिनियम में आधारित उचित प्रकिया का अनुपालन करने के बाद शुरू की जाती है।

5.2 यदि कोई एनजीओ इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन करता है तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाती है।

5.3 2016 में एफसीआरए 2010 कानून में संशोधन किया गया। नए संशोधनों के मुताबिक अब गैरलाभकारी संगठन, राजनीतिक दल और चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों या विदेशी कंपनियों से शर्तो के साथ चंदा ले सकते हैं।

5.4 नए कानून के तहत ऐसे विदेशी सहायता लेने वाले एनजीओ को गृह मंत्रालय के तहत स्वयं को पंजीकरण कराना होगा, इसके साथ ही अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करनी होगी। वित्तीय लेन-देन में अनियमितता होने पर इनके लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान भी जोड़े गए।

5.5 गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के अंतर्गत एफसीआरए सेवाओं का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकता है।

विदेशी पैसे की जरूरत क्यों?

6.1 भारत में ये एनजीओ अपने काम के लिए काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद भी लेते हैं। इसके चलते कई बार ये संगठन शक के दायरे में आ जाते हैं।

6.2 घरेलू स्तर पर इनके लिए पैसा जुटाना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना ही विरोध करने के लिए इन संगठनों को पैसा नहीं देना चाहेगी। सरकार और कंपनियों की साँठगाँठ को भी जानकार इसका एक कारण मानते हैं।

अनियमित जमा योजना विधेयक 2018

चर्चा का कारण

1.1 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त पर गठित स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 में आधिकारिक संशोधन करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

1.2 अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 को 18 जुलाई, 2018 को संसद में पेश किया गया था और इसे स्थायी समिति को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसने इस विधेयक पर अपनी 17वीं रिपोर्ट 03 जनवरी, 2019 को संसद में पेश कर दी।

पृष्ठभूमि

2.1 बजट भाषण 2016-17 में सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि अवैध रूप से जमा राशि जुटाने वाली योजनाओं के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा।

2.2 हाल के महीनों में इस तरह की योजनाओं के जरिये देश भर के विभिन्न हिस्सों में अनगिनत लोगों को भारी आर्थिक चपत लगाने के मामले सामने आये हैं।

2.3 इन योजनाओं से बुरी तरह शिकार होने वालों में गरीब और वित्तीय दृष्टि से निरक्षर लोग शामिल हैं। यही नहीं, इस तरह की योजनाओं का जाल अनेक राज्यों में फैला हुआ है।

2.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के मुताबिक जुलाई, 2014 से मई, 2018 की अवधि के दौरान अनाधिकृत योजनाओं के 978 मामलों पर विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकों में विचार किया गया और उन्हें राज्यों से संबंधित नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुपुर्द किया गया।

विधेयक का उद्देश्य

3.1 इसका उद्देश्य यह है कि यह विधेयक अनियमित जमा जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा।

3.2 इसके तहत इस तरह की गतिविधियों को प्रत्याशित अपराध माना जाएगा, जबकि मौजूदा विधायी-सह-नियामकीय फ्रेमवर्क केवल व्यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ या अप्रत्याशित रूप से प्रभावी होता है।

3.3 विधेयक में अपराधों के तीन प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं, जिनमें अनियमित जमा योजनाएँ चलाना, नियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी के उद्देश्य से डिफॉल्ट करना और अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत इरादे से प्रलोभन देना शामिल हैं।

3.4 विधेयक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग इस तरह की गतिविधियों से बाज आ सकें।

3.5 विधेयक में उन मामलों में जमा राशि को वापस लौटाने या पुनर्भुगतान करने के पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं, जिनके तहत ये योजनाएँ किसी भी तरह से अवैध तौर पर जमा राशि जुटाने में सफल हो जाती हैं।

3.6 विधेयक में सक्षम प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को जब्त करने और जमाकर्त्ताओं को पुनर्भुगतान करने के उद्देश्य से इन परिसम्पत्तियों को हासिल करने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के प्रावधान

4.1 सम्पत्ति को जब्त करने और जमाकर्त्ताओं को धनराशि वापस करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है।

4.2 विधेयक में एक ऑनलाइन केन्द्रीय डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि देश भर में जमा राशि जुटाने की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं का संग्रह करने के साथ-साथ उन्हें साझा भी किया जा सके।

4.3 'जमा राशि या डिपॉजिट' को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जमा राशि जुटाने वालों को प्राप्तियों के रूप में छलपूर्वक आम जनता से धनराशि जुटाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसके साथ ही किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यवसाय के तहत सामान्य ढंग से धनराशि स्वीकार करने पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया या इसे बाधित नहीं किया गया है।

4.4 'जमा राशि जुटाने वालों' में ऐसे सभी संभावित निकाय (लोगों सहित) शामिल हैं, जो जमा राशियाँ जुटाते रहे हैं। इनमें ऐसे विशिष्ट निकाय शामिल नहीं हैं, जिनका गठन विधान के जरिये किया गया है।

4.5 व्यापक केन्द्रीय कानून होने के नाते इस विधेयक में सरकारी कानूनों से सर्वोत्तम तौर-तरीकों को अपनाया गया है और इसके साथ ही विधान के प्रावधानों पर अमल की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है।

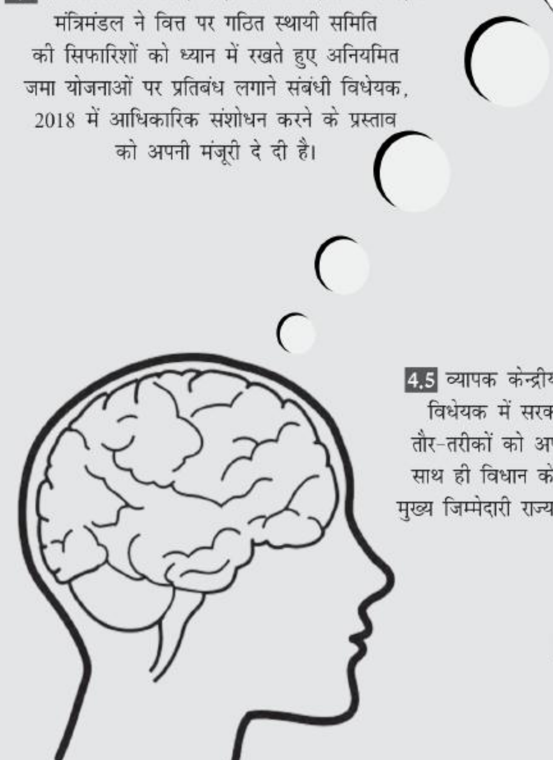

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2019

चर्चा का कारण

1.1 यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स के 'ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर' (जीआईपीसी) के द्वारा हाल ही में वर्ष 2019 के लिये जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 50 देशों में से 36वें स्थान पर रखा गया है। इसके जरिये विभिन्न देशों के रचनात्मक और खोजपरक माहौल का अंदाजा मिलता है।

1.2 उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। इस वर्ष जारी सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का सातवाँ संस्करण है तथा इसका शीर्षक 'इंस्पायरिंग टुमोरो' है।

पृष्ठभूमि

2.1 सर्वप्रथम पांच सौ ईसा पूर्व में यूनान में किताबें खरीदने-बेचने के लिए बौद्धिक संपदा का प्रयोग किया गया था।

2.2 भारत 1999 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में ट्रिप्स समझौते में शामिल हुआ और इस विषय में लागू अंतर्राष्ट्रीय नियम-कायदों का हिस्सा बना।

प्रमुख बिंदु

3.1 सूचकांक के मुताबिक भारत के नीति निर्माताओं द्वारा हाल में घरेलू एवं वैश्विक उद्यमियों के लिए इनोवेटिव माहौल सृजित करने के कारण सुधार देखे गए हैं।

3.2 इस सूचकांक में भारत को कुल 45 में से 16.22 स्कोर (36.04 प्रतिशत) मिले हैं जबकि वर्ष 2018 में 40 में से 12.03 स्कोर (30.07 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे।

3.3 सूचकांक में सर्वोच्च रैंक अमेरिका (42.66) को प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात यूनाइटेड किंगडम (42.22), स्वीडन (41.03), फ्रांस (41.00) एवं जर्मनी (40.54) का स्थान है।

3.4 जीआईपीसी के मानकों में पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा क्या है

4.1 किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा लिखी या बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की 'बौद्धिक संपदा' कहलाती है।

4.2 अपनी इन कृतियों पर सृजित व्यक्ति अथवा संस्था के अधिकार को 'बौद्धिक संपदा अधिकार' कहा जाता है।

4.3 इसका एक पहलू रचनात्मक है तो दूसरा वाणिज्यिक या औद्योगिक। रचनात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट का अधिकार दिया जाता है ताकि कोई और उसे अपने नाम से चलन में न ला सके।

4.4 व्यापारिक उद्देश्य से किए गए किसी आविष्कार को यह अधिकार पेटेंट के रूप में दिया जाता है ताकि कोई दूसरा उसका उपयोग आविष्कारक की अनुमति के बगैर न कर सके।

4.5 बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार है जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता अथवा नवप्रयोग के संरक्षण के लिये दिये जाते हैं।

4.6 ये अधिकार किसी भी प्रकार या आकार की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार, नवाचार, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

भारत की स्थिति

5.1 हाल तक देश में शोध का माहौल काफी कमजोर था। दवा और कई अन्य क्षेत्रों में हम दूसरों की खोजी तकनीक और प्रक्रियाओं में हेर-फेर करके ही काम चला रहे थे, लेकिन अब आईटी और अन्य क्षेत्रों में मौलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला है।

5.2 2016 की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के बाद इनमें खासतौर से तेजी आई है तथा देश में तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं।

5.3 आईपी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई वर्कशॉप भी आयोजित किए गए हैं। कुछ अहम सुधार हुए हैं, जैसे डब्ल्यूआईपीओ इंटरनेट संधियाँ जो छोटे कारोबार से संबंधित हैं। इन कदमों से शोध आधारित उद्योगों में भारत का दखल बढ़ा है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

6.1 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में 51 देशों द्वारा स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित डब्ल्यूआईपीओ संधि के फलस्वरूप हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में है।

6.2 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। वर्तमान में इसके महानिदेशक फ्रांसिस गुरी (Francis Gurry) हैं।

डब्ल्यूआईपीओ की गतिविधियाँ

7.1 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून का प्रगतिशील विकास।

7.2 भूमंडलीय संरक्षण प्रणालियाँ एवं सेवाएँ तथा विकास हेतु सहयोग।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. खदानों में महिलाओं को रोजगार

प्र. जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
2. खान अधिनियम, 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को रोजगार देना पूर्णत: प्रतिबंधित था।
3. इसका मकसद लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और नई नौकरियों का सृजन करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 व 2 (d) केवल 1 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: खान अधिनियम, 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को केवल सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबंधित था। ■

2. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पर अध्ययन रिपोर्ट

प्र. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना को 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था।
2. यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलायी जा रही है।
3. इस योजना के तहत सरकार हर परिवार को घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का कनेक्शन देती है।
4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 2, 3 व 4 (d) केवल 1, 2 व 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी/LPG गैस) का कनेक्शन देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं के सेहत की सुरक्षा करना भी है। इस प्रकार दिये गए कथनों में कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

3. व्यापार युद्ध पर अंकटाड की रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी 'द ट्रेड वार्स: द पेन एंड द गेन' शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध (Trade War) से विकासशील देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
2. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना 30 दिसंबर, 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत महासभा के स्थायी अंग के रूप में हुई।
3. अंकटाड व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है।
4. सरकारों एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की व्यापार तथा विकास नीतियों में सामंजस्य लाना अंकटाड के उद्देश्यों में शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 2, 3 व 4 (d) केवल 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट द ट्रेड वार्स; द पेन एंड द गेन में कहा गया है कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव से उन देशों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है जो अधिक प्रतिस्पर्द्धी हैं और अमेरिकी तथा चीनी कंपनियों की जगह लेने की आर्थिक क्षमता रखते हैं। इस प्रकार दिये गए कथनों में कथन 1 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

4. द हिन्दूकुश हिमालय असेसमेंट

प्र. हिन्दूकुश हिमालय असेसमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हिन्दूकुश हिमालय को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं।
2. हिन्दूकुश हिमालय लगभग 3500 किमी. के दायरे में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत भारत समेत, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार के क्षेत्र आते हैं।
3. हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र में 500 से अधिक निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 व 3

(c) केवल 1 व 2 (d) केवल 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः अनेक भू विज्ञानी हिन्दूकुश हिमालय को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फीला क्षेत्र यही है। हिन्दूकुश हिमालय में 5000 से अधिक ग्लेशियर विद्यमान हैं। इस प्रकार दिये गये कथनों में कथन 3 गलत है, जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

5. एनजीओ और उनके विदेशी चंदे

प्र. एनजीओ (NGO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एनजीओ एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है।
2. एनजीओ, राजनीतिक दल और चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवार या विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं ले सकते।
3. विदेशी चंदा (विनियमन) कानून के तहत एनजीओ द्वारा विदेशी सहायता लेने के लिए उसे गृह मंत्रालय के तहत स्वयं को रजिस्टर्ड कराना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1

(c) केवल 3 (d) केवल 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है, लाभ कमाना इनका मकसद नहीं होता है। 2016 में विदेशी चंदा (विनियमन) कानून एफसीआरए (FCRA) में संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक अब गैर लाभकारी संगठन, राजनीतिक दल और चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार या विदेशी कंपनियों से कुछ शर्तों के साथ चंदा ले सकते थे। इस प्रकार कथन 1 व 2 गलत है, जबकि कथन 3 सही है। ■

6. अनियमित जमा योजना विधेयक–2018

प्र. अनियमित जमा योजना विधेयक-2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस विधेयक में संपत्ति को जब्त करने और जमाकर्त्ताओं को धनराशि वापस करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।
2. यह विधेयक अनियमित जमा राशि जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा।
3. विधेयक में जमा राशि जुटाने वाले और जमा राशि या डिपॉजिट को व्यापक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
4. विधेयक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1, 2 व 3

(c) केवल 3 व 4 (d) केवल 2 व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः विधेयक में एक ऑनलाइन केन्द्रीय डेटाबेस बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि देश भर में जमा राशि जुटाने की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं का संग्रह करने के साथ-साथ उन्हें साझा भी किया जा सके। इसके अलावा सम्पत्ति को जब्त करने और जमाकर्त्ताओं को धनराशि वापस करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जमा राशि जुटाने वालों को प्राप्तियों के रूप में छलपूर्वक आम जनता से धनराशि जुटाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार दिये गए कथनों में केवल 2 व 4 सही हैं, जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

7. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक–2019

प्र. अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस सूचकांक में भारत को 44वें स्थान पर रखा गया है।
2. सूचकांक के मुताबिक भारत के नीति निर्माताओं द्वारा हाल में घरेलू एवं वैश्विक उद्यमियों के लिए इनोवेटिव माहौल सृजित करने के कारण सुधार देखे गए हैं।
3. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2

(c) केवल 2 व 3 (d) केवल 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक-2019 में भारत को 50 देशों में से 36वें स्थान पर रखा गया है, जबकि 2018 में भारत 44वें स्थान पर काबिज था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1967 में 51 देशों द्वारा स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित डब्ल्यूआईपीओ (WIPO) संधि के फलस्वरूप हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैण्ड में है। इस प्रकार कथन 2 सही है, जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. अंतर्राष्ट्रीय गैस व तेल सम्मेलन पेट्रोटेक (Petrotech) का आयोजन किस शहर में किया गया?

   -ग्रेटर नोएड

2. अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की है?

   -आईएनएफ (INF)

3. हाल ही में किस स्थान पर एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया है?

   -नई दिल्ली

4. किस राज्य ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शून्य घातक गलियारा (Zero Fatality Corridor) परियोजना शुरू की है?

   -नई दिल्ली

5. हाल ही में भारत के किस राज्य ने महिला को वर्जिनिटी टेस्ट (Virginity Test) के लिए बाध्य करने पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है?

   -महाराष्ट्र

6. देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर की जाएगी?

   -रेवाड़ी

7. हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?

   -ऋषि कुमार शुक्ला

सात महत्वपूर्ण भारतीय आर्द्रभूमि

हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को 'वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज' की थीम के साथ मनाया गया।

आर्द्रभूमि

- आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होता है, जिनमें नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की भूमि उथले पानी की सतह से ढँकी रहती हैं।
- रामसर सम्मेलन के अनुसार नम भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत दलदली कच्छ क्षेत्र, जो कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी हो तथा जिसमें पानी रूका या बहता हुआ हो आदि आते हैं। इसमें ऐसे समुद्री क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है, जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है।
- इस प्रकार रामसर सम्मेलन में दी गई परिभाषा के आधार पर मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ज्वारनदमुख, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल तथा झीलों आदि को सम्मिलित किया जाता है।

1. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान

- सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं जिनके नाम पर ही इसका नाम सुंदरवन पड़ा है।
- सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो लगभग 10,200 वर्ग किमी. के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले वन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है।
- सुंदरवन लगभग 110 छोटे-बड़े द्वीपों (59 रिहाइशी और 54 संरक्षित) पर फैला हुआ है।
- सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व का प्रमुख क्षेत्र और 1977 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।
- यह क्षेत्र मैन्ग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है।
- यहाँ पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़विहीन जीवों की कई प्रजातियाँ भी पायी जाती हैं। इनमें खारे पानी का घड़ियाल भी शामिल है।
- यह जंगली मुर्गी, विशाल छिपकली, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, मगरमच्छ आदि जैसे कई अन्य वन्य पशुओं का भी प्राकृतिक निवास स्थान है।
- साइबेरियाई खानाबदोश बत्तख ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ आते हैं। सुंदरवन विलुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बटागुर बसका, किंग क्रैब और ऑलिव रिडले कछुए का भी निवास स्थान है।
- इसके अलावा यहाँ पर देवा, केवड़ा, तर्मजा, आमलोपी और गोरान वृक्षों की ऐसी प्रजातियाँ हैं, जो सुंदरवन में पाई जाती हैं। यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ वहीं पेड़ पनपते या बच सकते हैं, जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हों।
- इसे 2019 में रामसर आर्द्रभूमि सूची के रूप में नामित किया गया है।

2. चंद्रताल

- चंद्रताल हिमालय पर लगभग 4,300 मीटर (14,100 फीट) की ऊँचाई पर स्थित एक झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
- हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति घाटियों की सीमा पर कुंजम पास के निकट स्थित चंद्रताल से चंद्र नदी का उद्गम होता है जो आगे चलकर भागा नदी से मिलकर चंद्रभागा और जम्मू-कश्मीर में जाकर चेनाब कहलाने लगती है।
- इस झील का आकार अर्द्धचंद्र की तरह है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा है।
- कोपेन जलवायु वर्गीकरण मानकों के अनुसार अतिशीत जलवायु वाला यह स्थान रामसर आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत है।
- चंद्रताल प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
- यहाँ सालों भर एडवेंचर के शौकीनों का आवागमन लगा रहता है।

- यह झील पहाड़ियों और बर्फीली चोटियों से घिरी है, जो पर्यटकों को काफी ज्यादा उत्साहित करती है।
- चंद्रताल हिम तेंदुए की शरणस्थली है, आईयूसीएन (IUCN) ने हिम तेंदुए को लाल सूची में रखा है।
- इस झील के आस-पास बड़े-बड़े घास के मैदान भी हैं।

3. रुद्रसागर झील

- रुद्रसागर झील को 'रुदीजाला' के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है।
- इस झील में तीन तरफ से आनेवाली तीन नदियों, नोआ चेरा, दुर्लभनारायण चेरा और केमतअली चेरा का संगम होता है। जून से सितम्बर के बीच इसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है।
- इस झील से आकर्षित होकर हर साल जाड़े के मौसम में बार पोचंड और फेरेजिनस डक सहित अनेक प्रकार के लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी यहाँ आकर अपना बसेरा बनाते हैं।
- नवम्बर से जनवरी के बीच यहाँ भारी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है।
- रुद्रसागर झील के मध्य में स्थित नीर महल को देखने के लिए देश-विदेश से लोग मुख्यत: सिपहीजाला पहुँचते हैं।
- यह नीर महल त्रिपुरा के सिपहीजाला जिले में स्थित है। राष्ट्रीय महत्त्व का यह पर्यटक स्थल सचमुच अद्भुत है।
- नीर महल का निर्माण महाराजा वीर किशोर माणिक्य ने सन 1930 में करवाया था। यह हिन्दू और मुगल वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है।
- इस महल के पश्चिमी भाग में अंत:पुर निर्मित है और पूर्वी भाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खुली हुई रंगशाला निर्मित है।

4. कोलेरू झील

- कोलेरू झील मीठे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है।
- कोलेरू कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य स्थित है।
- यह एक अण्डाकार छिछली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यह झील अनेक स्रोतों द्वारा भरती जा रही है।
- कोलेरू झील में सर्दियों के समय साइबेरिया से पक्षी आते हैं।
- पानी में पाये जाने वाले प्राणी हवासिलों के लिए यह झील स्वर्ग समान है। इसके अलावा इस झील को तरह-तरह की मछलियों, बत्तखों व बगुलों की जन्मस्थली भी माना जाता है।
- इसे रामसर आर्द्रभूमि सूची तथा 'मोंटेक्स रिकॉर्ड' के अन्तर्गत 2002 में शामिल किया गया है।
- कोलेरू झील अपने आस-पास लगभग 20 लाख लोगों और प्रवासी पक्षियों के लिए निवास स्थान प्रदान करती है।
- अन्य प्रवासी पक्षियों में कुछ विशेष किस्में जैसे- ओपन बिल्ड स्टॉर्क (Open Billed Stork), पेंटेड स्टॉर्क (Painted Stork), पिंटेल्स (Pintails) आदि।
- इस झील को 1999 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।

5. साँभर झील

- राजस्थान के साँभर झील को 'राजस्थान की साल्ट लेक' भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है। यह झील समुद्र तल से 1,200 फुट की ऊँचाई पर स्थित है।
- इसे थार रेगिस्तान का उपहार भी माना जाता है।
- इसे 1990 में रामसर आर्द्रस्थल के रूप में नामित किया गया था।
- इस झील से हर साल 196000 टन स्वच्छ नमक का उत्पादन होता है, जो भारत के कुल नमक उत्पादन का 9 फीसदी है।
- यह झील चारों तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है।
- इस झील में विभिन्न प्रकार के पक्षी व जन्तु निवास करते हैं।
- यह झील उत्तरी एशिया से आने वाले फ्लेमिंगोस (Flamingos) पक्षी की शरणस्थली है।

6. वुलर झील

- कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में झेलम नदी से लगभग 1,578 मीटर ऊपर वुलर झील स्थित है, जो एशिया में ताजा मीठे पानी की सबसे लम्बी झील मानी जाती है।
- यह झील पक्षियों और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों की शरण स्थली है, जहाँ इन सभी को देखा जा सकता है।
- वुलर झील का आकार मौसम और रेंज के हिसाब से 30 वर्ग किमी. से 260 वर्ग किमी के मध्य बदलता रहता है।
- यहाँ मछलियों की कई महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे- कॉमन कार्प, गुलाबी कंटिया, मास्कीमटोफिश, द नेमाचेलीओस स्पीस्सन, द क्रासचेलिओस लाटिउस और कई बर्फ ट्राउट इत्यादि पाई जाती हैं।

- मछली यहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण भोजन है। यहाँ लगभग 8000 मछुआरे मछली पालन से अपनी आजीविका चलाते हैं।
- यहाँ कई प्रसिद्ध चिड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे- नीले रॉक कबूतर, ओरियल सुनहरा, अल्पाइन स्वीफ्ट, स्पीरो हॉक और कम पंजे वाले ईगल।
- झील के बीचों-बीच एक प्राचीन द्वीप के अवशेष को भी देखा जा सकता है, जो सम्राट जैन-उल-आबेदीन द्वारा निर्मित है।
- पोहरू, ईरीन, हजर्बुल और आराह यहाँ के प्रमुख नाले हैं जो इस झील में बहते हैं। यहाँ पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से जून के मध्य है।
- इसे 1990 में रामसर आर्द्र-स्थल के रूप में नामित किया गया था।

7. चिल्का झील

- एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में विख्यात चिल्का झील भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित है।
- यह भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है।
- इस झील में लगभग 160 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस, मंगोलिया, लद्दाख और मध्य एशिया आदि दूर-दराज क्षेत्रों से पक्षी यहाँ आते हैं।
- हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए यह लैगून वास्तव में एक स्वर्ग है।
- इस खूबसूरत झील में कई छोटे-छोटे द्वीप हैं, जहाँ ज्यादातर स्थानीय मछुआरों के परिवार रहते हैं। इन द्वीपों पर नाव यात्रा द्वारा पहुँचा जा सकता है।
- इस मनोरम झील का एक और मुख्य आकर्षण चिल्का की प्रमुख प्रजाति इरावदी डॉल्फिन की उपस्थिति है। करीब 110 वर्ग किमी. में फैली यह झील, असंख्य जीव-जन्तुओं व जलीय वनस्पतियों का निवास है। यहाँ करीब 220 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। बालू से बनी कई किमी. की लंबी दीवारें इस झील को समुद्र से अलग करती हैं।
- 1981 में चिल्का झील को रामसर घोषणा पत्र के अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में चुना गया।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से समझाइए।

2. भारत के अवसंरचना परिदृश्य को पुनः आकार देने में भारतमाला परियोजना के महत्त्व पर प्रकाश डालें।

3. साइबर आक्रमण क्या है? इससे उत्पन्न संभावित खतरों एवं इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण पहलों की विवेचना कीजिए।

4. स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर असफल रहने के बावजूद भी स्थायी बंदोबस्त एक प्रगतिशील व्यवस्था थी?

5. भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

6. भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते हैं? विवेचना कीजिए।

7. 'सदाचार संहिता' और 'आचार-संहिता' के बीच उपयुक्त उदाहरणों सहित विभेदन कीजिए।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

OPEN TO ALL

CLASSROOM PROGRAMME

GENERAL STUDIES

Avail Scholarship up to 100%
Score% = Scholarship%

* Registration Mandatory

14th FEB.|12:00 PM

Prelims Revision Classes-2019

- Through question & Answer
- Includes Prelims (Online) Test Series
- Snippet - 365 (Material)

05th March|2:00 PM

FOUNDATION BATCH

15th FEB.|10:00 AM

04th MAR.|05:30 PM

9205274745 011 49274400

25B, METRO PILLAR NO. 117, PUSA ROAD, OLD RAJENDRA NAGAR

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 50

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400